

अध्याय-IV

वाणिज्य—कर

अध्याय–IV : वाणिज्य–कर

4.1 कर प्रशासन

राज्य में वाणिज्य–कर¹ का आरोपण एवं संग्रहण, निम्नलिखित अधिनियमों एवं उसके तहत् बने नियमावलियों के प्रावधानों द्वारा शासित है:

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005;
- बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर (प्रवेश कर) अधिनियम, 1993;
- बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948;
- बिहार होटलों में विलासिता पर करारोपण अधिनियम, 1988;
- बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948;
- बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर अधिनियम, 2011; एवं
- बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007।

यह वाणिज्य–कर विभाग द्वारा प्रशासित है, जिसके प्रमुख वाणिज्य–कर आयुक्त होते हैं। उनके कार्य सम्पादन में मुख्यालय स्तर पर अन्वेषण ब्यूरो स्कंद्ध सहित पाँच अपर आयुक्त, तीन वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त, 10 वाणिज्य–कर उपायुक्त/वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त एवं पाँच वाणिज्य–कर पदाधिकारी सहयोग करते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर राज्य को नौ² प्रशासनिक प्रमंडलों, सात³ अपीलीय प्रमंडलों एवं चार⁴ लेखापरीक्षा प्रमंडलों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक के प्रधान, वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त होते हैं। नौ प्रशासनिक प्रमंडलों को पुनः 50 अंचलों में विभाजित किया गया है, जिसके प्रधान वाणिज्य–कर उपायुक्त/वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त होते हैं, जिनकी सहायता वाणिज्य–कर पदाधिकारी करते हैं। अंचल, विभाग के कार्यकलाप का मूलभूत केन्द्र है।

4.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

किसी भी विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक विशेष साधन है, जिसे साधारणतया सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे एक संगठन को यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि सभी विहित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंद्ध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है तथा विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जाता है। मुख्य लेखा नियंत्रक भी लेखापरीक्षा दल की उपलब्धता पर आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु इकाइयों का चयन कर सकते हैं।

¹ वाणिज्य–कर में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर, विद्युत पर कर और शुल्क, आय एवं व्यय पर अन्य कर–पेशा, व्यापार आजीविका एवं रोजगार पर कर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल हैं।

² भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णिया, सारण एवं तिरहुत।

³ भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना, पूर्णिया एवं तिरहुत।

⁴ भागलपुर, मगध, पटना एवं तिरहुत।

वित्त विभाग द्वारा दी गई (अगस्त 2016) सूचना के अनुसार वर्ष 2015–16 के दौरान उसने वाणिज्य-कर विभाग का कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया था। वाणिज्य-कर विभाग में चार लेखापरीक्षा प्रमंडल हैं, जो वाणिज्य-कर आयुक्त द्वारा चयनित व्यवसायियों द्वारा संधारित लेखाओं के सही होने का पता लगाने हेतु उत्तरदायी हैं। विभाग ने 2015–16 में आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु किसी भी इकाई का चयन नहीं किया।

4.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2015–16 के दौरान वाणिज्य-कर से संबंधित 63 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 39 इकाइयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से हमने ₹ 2,916.12 करोड़ से सन्तुष्टि 1,492 मामलों में करों का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाया जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसाकि तालिका-4.1 में वर्णित है।

तालिका-4.1

लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1	'वाणिज्य कर विभाग में राजस्व के बकायों के संग्रहण' का लेखापरीक्षा	1	231.91
क : बिक्री, व्यापार आदि पर कर / मूल्यवर्द्धित कर			
1.	आवर्त्त का छिपाव	380	1328.68
2.	कर से छूट की अनियमित अनुमति	74	64.76
3.	इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति	258	61.00
4.	क्रय कर का आरोपण नहीं किया जाना	10	14.51
5.	कर का गलत दर लगाया जाना	44	11.87
6.	रियायती कर के दर की अनियमित अनुमति	8	9.87
7.	आवर्त्त के गलत निर्धारण के कारण कर का कम आरोपण	19	8.86
8.	कर का आरोपण नहीं या कम आरोपण किया जाना	16	8.29
9.	अन्य मामले	449	83.30
कुल		1,258	1,591.14
ख : प्रवेश कर			
1.	आयातित मूल्य के छिपाव के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण	36	984.61
2.	प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना	27	4.30
3.	अन्य मामले	166	35.80
कुल		229	1,024.71
ग : विद्युत शुल्क			
1.	विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं या कम आरोपण किया जाना	2	0.88
कुल		2	0.88
घ : मनोरंजन/विलासिता कर			
1.	मनोरंजन कर का आरोपण नहीं या कम आरोपण किया जाना	2	67.47
कुल		2	67.47
कुल योग		1,492	2,916.12


वर्ष 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा के परिणाम में बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर एवं प्रवेश कर पर हमारे लेखापरीक्षा अवलोकनों को निम्नलिखित चार्ट में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट-4.1

क : बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर

(₹ करोड़ में)

श्रेणियाँ




श्रेणियाँ

- वाणिज्य कर विभाग में राजस्व के बकायों के संग्रहण का लेखापरीक्षा (1 मामला)
- आवर्त का छिपाव (380 मामले)
- कर से छुट की अनियमित अनुमति (74 मामले)
- इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति (258 मामले)
- क्रय कर का आरोपण नहीं किया जाना (10 मामले)
- कर का गलत दर लगाया जाना (44 मामले)
- आवर्त के गलत निर्धारण के कारण कर का कम आरोपण (19 मामले)
- कर का आरोपण नहीं या कम आरोपण किया जाना (16 मामले)
- रियायती कर के दर की अनियमित अनुमति (8 मामले)
- अन्य मामले (449 मामले)

चार्ट-4.2

ख : प्रवेश कर

(₹ करोड़ में)



उपर्युक्त वर्णित मामलों में से विभाग ने 170 मामलों में सन्निहित ₹ 159.78 करोड़ के कम आरोपण, कम वसूली एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया जिसमें से ₹ 103.94 करोड़ से सन्निहित सात मामले इस वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। पुनः विभाग ने प्रतिवेदित किया कि 64 मामलों में ₹ 2.18 करोड़ की वसूली हुई थी, जो कि वर्ष 2009–10 से 2014–15 के बीच इंगित किए गए थे।

दृष्टांतस्वरूप ₹ 1102.33 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं:

4.4 वाणिज्य कर विभाग में राजस्व के बकायों की संग्रहण हेतु प्रणाली की लेखापरीक्षा

4.4.1 परिचय

राज्य में वाणिज्य-कर का आरोपण तथा संग्रहण, वाणिज्य-कर विभाग द्वारा प्रशासित किये जाते हैं जिसे आठ संविधि यथा, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956; बिहार मनोरंजन कर अधिनियम 1948; बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम 1948; बिहार विज्ञापन कर अधिनियम 2007; बिहार होटलों में विलासिता पर करारोपण अधिनियम, 1988; बिहार स्थानीय क्षेत्रों में खपत, उपयोग अथवा बिक्री हेतु मालों के प्रवेश पर कर (प्रवेश कर) अधिनियम, 1993 तथा बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका तथा रोजगार पर कर अधिनियम, 2011 के प्रशासन का कार्य सौंपा गया है।

वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार के कर राजस्व का लगभग दो तिहाई योगदान करता है। स्वीकृत/निर्धारित कर का भुगतान निर्धारिती द्वारा माँग पत्र में विनिर्दिष्ट तरीके तथा समय के भीतर किया जाता है। कर का भुगतान नहीं किये जाने के मामले में कर-निर्धारण प्राधिकारी कर के राशि के अलावे आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज का आरोपण करते हैं। कोई कर अथवा अर्थदण्ड/ब्याज, जिसका भुगतान नहीं किया गया है, कर का बकाया होता है तथा भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूलनीय होगा।

4.4.2 संगठनात्मक ढाँचा

उच्च स्तर पर प्रधान सचिव-सह-आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग के प्रधान होते हैं। वे विभाग में अधिनियम तथा नियमावलियों के प्रशासन हेतु उत्तरदायी हैं। अपने कार्य के निर्वहन में आयुक्त, वाणिज्य-कर को अन्वेषण व्यूरो सहित मुख्यालय स्तर पर पाँच अपर आयुक्त वाणिज्य-कर, तीन संयुक्त आयुक्त वाणिज्य-कर, 10 उपायुक्त वाणिज्य-कर/सहायक आयुक्त वाणिज्य कर तथा पाँच वाणिज्य-कर पदाधिकारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर राज्य नौ प्रशासनिक प्रमंडलों, सात अपील प्रमंडलों एवं चार लेखापरीक्षा प्रमंडलों में विभक्त है, जिसके प्रमुख संयुक्त आयुक्त वाणिज्य-कर होते हैं। इसके अतिरिक्त, नौ प्रशासनिक प्रमंडलों को पुनः 50 अंचलों में बांटा गया है, जिसके प्रमुख उपायुक्त, वाणिज्य-कर/सहायक आयुक्त, वाणिज्य-कर होते हैं, जिन्हें वाणिज्य-कर पदाधिकारियों का सहयोग मिलता है। अंचल, विभाग के आधारभूत गतिविधि का केन्द्र है जहाँ निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर निर्धारण/संवीक्षा की जाती है तथा माँग सृजित/राजस्व की वसूली की जाती है।

4.4.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा का आयोजन यह जाँच करने के उद्देश्य से किया गया, कि क्या:

- राजस्व के बकायों के संग्रहण हेतु नियम एवं प्रक्रिया पर्याप्त एवं प्रभावी है;
- राजस्व के बकायों की वसूली में अधिनियम/नियमावलियों तथा निर्देशों के प्रावधानों का अनुसरण किया जा रहा है; तथा
- विभाग का आंतरिक नियंत्रण तथा अनुश्रवण प्रणाली मजबूत तथा राजस्व के बकायों के संग्रहण में प्रभावी था।

4.4.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिया गया है—

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005;
- बिहार स्थानीय क्षेत्रों में खपत, उपयोग अथवा बिक्री हेतु मालों के प्रवेश पर कर (प्रवेश कर) अधिनियम, 1993;
- बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948;
- इसके तहत बनाये गये नियमावली, समय-समय पर जारी कार्यपालक तथा विभागीय आदेश तथा निदेश; तथा
- बिहार तथा ओडिशा लोक माँग एवं वसूली (पी0डी0आर0) अधिनियम, 1914।

4.4.5 कार्यक्षेत्र एवं कार्य प्रणाली

वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि हेतु लेखापरीक्षा का आयोजन फरवरी 2016 तथा जून 2016 के बीच किया गया। वाणिज्य–कर आयुक्त के कार्यालय तथा राज्य के 50 अंचलों में से 15 अंचलों⁵ के अभिलेखों का चयन आईडिया सॉफ्टवेयर के प्रयोग से यादृच्छिक (रैण्डम) नमूना के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में अभिलेखों की परीक्षा हेतु क्षेत्र दौरा, आंकड़ों का संग्रहण, लेखापरीक्षा ज्ञापन, प्रश्नावली निर्गत करना तथा लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए लेखापरीक्षा इकाईयों से उत्तर प्राप्त करना समिलित है।

अपर आयुक्त, वाणिज्य–कर के साथ 8 अप्रैल 2016 को एक आरभिक सम्मेलन (ईंट्री कॉन्फ्रेन्स) का आयोजन किया गया जिसमें लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, कार्य प्रणाली तथा लेखापरीक्षा उद्देश्य की व्याख्या की गई। अपर आयुक्त, वाणिज्य–कर के साथ 6 अक्टूबर 2016 को एक अंतिम सम्मेलन (एकिजिट कॉन्फ्रेन्स) का आयोजन किया गया। विभाग की प्रतिक्रिया/उत्तर उचित खंडन के साथ समिलित किया गया है।

4.4.6 स्वीकृति

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचना तथा अभिलेख उपलब्ध कराने में वाणिज्य–कर विभाग के सहयोग को स्वीकार करता है।

4.4.7 राजस्व एवं बकाये की प्रवृत्ति

बकाये की राशि 1 अप्रैल 2011 के ₹ 941.61 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2016 को ₹ 5,068.55 करोड़ हो गयी, इस प्रकार 438.29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार 31 मार्च 2016 को ₹ 5,068.55 करोड़ का बकाया वसूली हेतु लंबित था।

बकाये की वर्ष–वार स्थिति तथा वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि में उसकी वसूली नीचे तालिका–4.2 में दी गई है:

तालिका–4.2

राजस्व तथा बकाये की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विभाग की प्राप्तियाँ	बकाये का आरम्भ शेष	वर्ष के दौरान योग	कुल बकाया	बकाये की वसूली	बकाये के वसूली की प्रतिशतता	बकाये का अंत शेष
2011–12	8,414.43	941.61	532.99	1,474.60	258.18	17.50	1,216.42
2012–13	10,771.40	1,216.42	800.19	2,016.61	944.84	46.80	1,071.77
2013–14	13,041.36	1,071.77	1,581.71	2,653.48	467.57	17.60	2,185.91
2014–15	13,593.47	2,185.91	2,106.06	4,291.97	1,509.97	35.18	2,782.00
2015–16	17,122.42	2,782.00	3,054.47	5,836.47	767.92	13.16	5,068.55


(स्रोत: वित्त लेखा, बिहार सरकार तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत सूचना)

⁵ भमुआ, भागलपुर, दानापुर, दरभंगा, गया, हाजीपुर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पूर्णिया, समस्तीपुर तथा सीतामढ़ी।

कुल प्राप्ति के साथ—साथ बकायों के लम्बन तथा इसकी वसूली की स्थिति निम्न दंड चित्र में दर्शाया गया है।

चार्ट-4.3

राजस्व तथा बकाये की प्रवृत्ति



उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राजस्व का बकाया 1 अप्रैल 2011 के ₹ 941.61 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2016 को ₹ 5,068.55 करोड़ हो गया, इस प्रकार 438.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि विभाग की कुल प्राप्तियाँ ₹ 8,414.43 करोड़ से बढ़कर ₹ 17,122.42 करोड़ हो गई, इस प्रकार केवल 103.49 प्रतिशत की ही वृद्धि दर्ज हुई। बकाये की वसूली की दर केवल 13.16 प्रतिशत से 46.80 प्रतिशत के बीच रही। यह इंगित करता है कि राजस्व बकाये की वसूली की गति संचित हो रहे बकाये की तुलना में धीमी थी।

बकाये की आयु—वार स्थिति

विभाग द्वारा प्रस्तुत 31 मार्च 2016 को राजस्व के बकाये का आयु—वार विवरण निम्न तालिका-4.3 में प्रदर्शित है:

तालिका-4.3

बकाये की आयु—वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

आयु	राशि	बकाये की प्रतिशतता
सात वर्ष या अधिक पुराना	214.29	4.23
पाँच वर्ष या अधिक परंतु सात वर्ष से कम पुराना	121.99	2.41
तीन वर्ष या अधिक परंतु पाँच वर्ष से कम पुराना	263.57	5.20
तीन वर्ष से कम पुराना	4,468.70	88.16
कुल	5,068.55	100

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि बकायों का 88.16 प्रतिशत तीन वर्षों से कम पुराना था। विभाग को उसकी त्वरित वसूली हेतु प्रयास करना चाहिए, अन्यथा अधिक पुराना होने पर उन बकायों की वसूली में कठिनाई होगी।

4.4.8 बजट प्राक्कलन तैयार करते समय राजस्व बकाये को ध्यान में नहीं रखा जाना

बकाये के वृहत विलंबन, जो कुल प्राप्तियों की 9.95 से 29.60 प्रतिशत के बीच थी, के बावजूद बजट प्राक्कलन तैयार करते समय राजस्व बकाये को ध्यान में नहीं रखा गया।



बिहार बजट प्रक्रिया के नियम 54 के अनुसार राजस्व तथा प्राप्तियों के प्राक्कलन में वर्ष के अन्तर्गत अपेक्षित वसूलनीय राशि को प्रदर्शित करना चाहिए। आगामी वर्ष हेतु नियत राजस्व का प्राक्कलन करते समय गत वर्ष में देय कोई बकाया तथा वर्ष के दौरान उसके वसूली की संभावनाएँ सहित वास्तविक माँग के आधार पर संगणित होनी चाहिए। बकायों तथा चालू माँग को अलग-अलग दर्शाना चाहिए तथा यदि पूर्ण वसूली अपेक्षित नहीं है तो कारण बताना चाहिए। अस्थिर राजस्व के मामले में प्राक्कलन गत तीन वर्षों के प्राप्तियों की तुलना पर आधारित होनी चाहिए।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान बजट प्राक्कलन, कुल प्राप्तियाँ तथा राजस्व का बकाया एवं उनका संग्रहण नीचे **तालिका-4.4** में दर्शाया गया है:

तालिका-4.4

वास्तविक प्राप्ति के साथ साथ राजस्व के बकाये

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल प्राप्तियाँ	कुल बकाया	वसूल की गई राजस्व के बकाये	बकाये का अंतशेष	प्राप्तियों की तुलना में बकाये के अंतशेष की प्रतिशतता	कुल प्राप्तियों में वसूली की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
2011–12	8,414.43	1,474.60	258.18	1,216.42	14.46	3.07
2012–13	10,771.40	2,016.61	944.84	1,071.77	9.95	8.77
2013–14	13,041.36	2,653.48	467.57	2,185.91	16.76	3.58
2014–15	13,593.47	4,291.97	1509.97	2,782.00	20.46	11.10
2015–16	17,122.42	5,836.47	767.92	5,068.55	29.60	4.48

(स्रोत: वित्त लेखा, विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना)

जून 2016 में आयुक्त, वाणिज्य-कर के कार्यालय में वर्ष 2011–12 से 2015–16 के बजट प्राक्कलन संचिकाओं के नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि राजस्व बकाये के वृहत विलम्बन के बावजूद बजट प्राक्कलन तैयार करते समय राजस्व के बकाये को

ध्यान में नहीं रखा गया, जो कुल प्राप्तियों के 9.95 तथा 29.60 प्रतिशत के बीच थी तथा बकायों की वसूली का योगदान कुल प्राप्तियों के 3.07 से 11.10 प्रतिशत के बीच रहा।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि राजस्व प्राप्तियों का प्राक्कलन, राजस्व के पूर्व वर्ष के संग्रहण में कुछ प्रतिशत की वृद्धि जोड़ कर तैयार की गई थी तथा पूर्व वर्ष के राजस्व में राजस्व के बकाये का संग्रहण भी शामिल है।

विभाग का उत्तर इसकी व्याख्या नहीं करता है कि बकाये की वास्तविक प्रमात्रा का पृथक विश्लेषण क्यों नहीं किया गया क्योंकि बकाये की प्रमात्रा वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान लगभग पाँच गुणा बढ़ गई थी। बकायों की वसूली का प्राक्कलन बजट प्राक्कलन में पृथक रूप से दर्शाया जाने पर बकायों की वसूली हो सकती थी/प्रभावी रूप से इसका अनुश्रवण किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.4.9 चयनित अंचलों में बकाया लंबित रहना

चयनित अंचलों में बकाया की राशि 1 अप्रैल 2011 के ₹ 378.60 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2016 को ₹ 3,637.55 करोड़ हो गई, इस प्रकार 860.79 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान 14 नमूना—जाँचित अंचलों (दरभंगा को छोड़कर⁶) में राजस्व बकाये की स्थिति निम्न तालिका-4.5 में दर्शाई गई है:

तालिका 4.5

बकाया लंबित रहना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आंरंभ शेष		वर्ष के दौरान जुड़े राजस्व के बकाये		वसूल किये गये बकाये की राशि		अंत शेष	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
2011–12	10,286	378.60	2,151	379.37	3,410	183.03	9,027	574.94
2012–13	9,027	574.94	1,879	481.56	2,765	788.97	8,141	267.53
2013–14	8,141	267.53	2,276	1,309.13	2,392	211.75	8,025	1,364.91
2014–15	8,025	1,364.91	2,574	1,311.92	2,131	1,143.13	8,468	1,533.70
2015–16	8,468	1,533.70	7,242	2,654.42	4,213	550.57	11,497	3,637.55

(स्रोत: अंचलों द्वारा प्रदत्त सूचना)

उपर्युक्त सूचनाओं के विश्लेषण से हमने पाया कि वर्ष 2011–12 के आंरंभ में ₹ 378.60 करोड़ का बकाया बढ़कर वर्ष 2015–16 के अंत में ₹ 3,637.55 करोड़ हो गया जो यह प्रदर्शित करता है कि वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान बकायों के लंबित रहने में 860.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यह दर्शाता है कि वसूली की गति बकायों के संचयन से बहुत कम थी। पुनः, 31 मार्च 2016 को लंबित बकायों के चरण—वार विश्लेषण करने

⁶

राजस्व बकाये के मामलों के आंकड़े तथा सन्तुष्टि राशि का संधारण दरभंगा अंचल में उचित रूप से नहीं किया गया था तथा अंचल द्वारा प्रदत्त सूचना प्रमाणिक प्रतीत नहीं होता था।

पर हमने पाया कि बकायों का 54.24 प्रतिशत विभिन्न न्यायिक प्राधिकरियों के न्यायालयों में लंबित था तथा 44.02 प्रतिशत वसूली की अन्य चरणों पर थी।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि बकायों की वसूली के लिए जुलाई 2016 में अंचलों को निर्देश जारी कर दिये गये थे।

अनुशंसा—1: सरकार/विभाग बकायों के भुगतान हेतु कर चूककर्ताओं को स्मार-पत्र जनित करने हेतु स्वचालित प्रणाली लाये तथा एक ऐसी प्रणाली विकसित करे जिससे बकायों की वसूली/विलम्बन, कर निर्धारण प्राधिकारी के कार्य निष्पादन मूल्यांकन में प्रदर्शित हो।

4.4.10 लेखापरीक्षा तथा रिमांड मामलों के कारण हुए अनुसारी कर निर्धारण में बकाया लंबित रहना

लेखापरीक्षा/रिमांड मामलों के कारण ₹1,781.45 करोड़ की माँग सृजित की गई थी, जिसमें से 31 मार्च 2016 को वसूली हेतु ₹ 1,186.02 करोड़ लंबित थे।

चयनित 15 नमूना—जाँचित अंचलों में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा, रिमांड मामले तथा मूल्यवर्द्धित कर लेखापरीक्षा के अनुसारी किये गये कर निर्धारण के कारण माँग सृजन की स्थिति, इसकी वसूली तथा वसूली हेतु लंबित राजस्व के बकाये, जैसाकि इन अंचलों द्वारा उपलब्ध कराया गया था, नीचे वर्णित हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किये गये लेखापरीक्षा के अनुसारी सृजित माँग लंबित रहना

हमने पाया कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किये गये लेखापरीक्षा के अनुसारी कर निर्धारण के कारण वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान 1,258 मामलों में ₹ 1,377.22 करोड़ की माँग सृजित की गई, जिसमें से वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान मात्र ₹ 261.43 करोड़ की वसूली की गई। इस प्रकार 31 मार्च 2016 को वसूली हेतु ₹ 1,115.79 करोड़ की माँग लंबित थी और इसमें से ₹ 727.30 करोड़ का बकाया माननीय उच्च न्यायालय में लंबित था।

रिमांड मामलों के कर निर्धारण⁷ के अनुसारी सृजित माँग लंबित रहना

हमने पाया कि अपीलीय न्यायालयों के निर्णय/निर्देश के अनुसारी किये गये प्रत्यावर्तित मामलों के कर निर्धारण के कारण वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान 423 मामलों में ₹ 401.43 करोड़ की माँग सृजित की गई। इसमें से 31 मार्च 2016 को वसूली हेतु ₹ 67.70 करोड़ की माँग लंबित थी।

मूल्यवर्द्धित कर लेखापरीक्षा के अनुसारी सृजित माँग लंबित रहना

हमने पाया कि मूल्यवर्द्धित कर लेखापरीक्षा के अनुसारी कर निर्धारण के कारण वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान 1,248 मामलों में ₹ 2.80 करोड़ की माँग सृजित की गई। इसमें से 31 मार्च 2016 को वसूली हेतु ₹ 2.53 करोड़ की माँग लंबित थी।

बकायों का लंबित रहना विभाग में नियंत्रण तथा अनुश्रवण तंत्र में कमी को प्रदर्शित करता है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि बकायों की वसूली हेतु जुलाई 2016 में अंचलों को निर्देश जारी कर दिया गया था।

⁷ अपीलीय न्यायालयों द्वारा रिमांड किये गये मामलों का कर निर्धारण।

4.4.11 कर/ब्याज/अर्थदण्ड के बकायों की वसूली नहीं किया जाना

पन्द्रह अंचलों में नमूना-जाँचित 2,787 मामलों में से 230 मामलों में अधिनियम/नियमावली/निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा आरोप्य ₹11.64 करोड़ के ब्याज तथा ₹ 35.86 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 223.89 करोड़ के बकायों की वसूली नहीं हुई, जैसाकि अनुवर्ती कंडिकाओं में दिया गया है।

4.4.11.1 बकायों की वसूली नहीं किया जाना

एक व्यवसायी के मामले में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने राज्य सरकार को ₹ 123.23 करोड़ के बकाये के भुगतान हेतु औद्योगिक प्रतिपूर्ति भुगतान करने का निदेश दिया। परंतु व्यवसायी से वसूली हेतु ₹ 81.73 करोड़ लंबित था। इसके अतिरिक्त, ₹ 37.99 करोड़ के स्वीकृत कर के बकाया का भी भुगतान नहीं किया गया था।

पटना विशेष अंचल में हमने जुलाई 2016 में पाया कि एक व्यवसायी, जिसके विरुद्ध ₹ 123.23 करोड़ का बकाया वसूली हेतु देय था, वह औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड पहुँचा था। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के निर्णय के अनुसार जुलाई 2011 में उद्योग विभाग, बिहार सरकार ने व्यवसायी द्वारा किये गये मूल्यवर्द्धित कर भुगतान के 80 प्रतिशत की दर से 1 अक्टूबर 2009 से 7.5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपूर्ति करने का निर्णय, इस शर्त पर लिया कि कंपनी विहित समय सीमा के भीतर स्वीकृत कर का भुगतान करेगी, ताकि वह अपने बकायों का भुगतान कर सके। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि ड्राफ्ट रिहैबिलिटेशन स्कीम (डी.आर.एस) में दिये कैश फ्लो के अनुसार बकायों की वसूली होगी।

वर्ष 2009–10 से 2013–14 के दौरान किये गये बकाये की वसूली तथा औद्योगिक प्रतिपूर्ति का भुगतान नीचे तालिका-4.6 में दिया गया है:

तालिका 4.6

बकायों की वसूली

(₹ करोड़ में)

अवधि	प्रतिपूर्ति की राशि	वसूली, जैसाकि डी0आर0एस0 में विचार किया गया	वसूली गई राशि	बकाये की कम वसूली
2009–10 से 2011–12 तक	50.74	36.59	21.31	15.28
2012–13	21.90	14.48	14.48	—
2013–14	20.71	14.48	5.71	8.77
2013–14 तक कुल	93.35	65.55	41.50	24.05
2014–15	—	14.48	—	—
2015–16	—	18.11	—	—
2016–17	—	25.09	—	—
कुल		123.23		

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा निर्धारित डी0आर0एस0 के अनुसार वर्ष 2013–14 तक ₹ 65.55 करोड़ के बकाये की वसूलनीय राशि के विरुद्ध व्यवसायी से केवल ₹ 41.50 करोड़ की वसूली की गई थी,

जबकि प्रतिपूर्ति का भुगतान ₹ 93.35 करोड़ का किया गया, जो कि उपर वर्णित बकाये के भुगतान हेतु था। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार बकाये की वसूली नहीं किये जाने का कारण संचिकाओं में दर्ज नहीं पाया गया। इस प्रकार, ₹ 24.05 करोड़ के राजस्व के बकायों की वसूली वर्ष 2013–14 तक नहीं हुई थी।

इसके अतिरिक्त, हमने पाया कि वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 के दौरान व्यवसायी ने ₹ 19.99 करोड़ तथा ₹ 18.00 करोड़ का स्वीकृत मूल्यवर्द्धित कर का भुगतान नहीं किया था, जिससे वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान वसूल किये जाने वाले ₹ 57.68 करोड़ के शेष बकाये की वसूली की संभावना भी प्रभावित हुआ। इस प्रकार, लेखापरीक्षा तिथि तक उपर वर्णित ₹ 123.23 करोड़ के बकाये के विरुद्ध ₹ 81.73 करोड़ (₹ 24.05 करोड़ + ₹ 57.68 करोड़) लंबित था तथा वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 के स्वीकृत कर के बकाये के विरुद्ध ₹ 37.99 करोड़ लंबित था।

इसे इंगित किये जाने के बाद अक्टूबर 2016 में आयोजित अंतिम सम्मेलन में विभाग ने कहा कि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने अपने आदेश में कहा था कि “चूँकि कोई भी प्रतिरोधी कार्रवाई पुनरुत्थान प्रयासों को संकट में डाल देगी, अतः बिहार सरकार को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अनुमति के बिना देय की वसूली हेतु किसी प्रतिरोधी उपाय का सहारा नहीं लेना चाहिए”। विभाग का उत्तर औद्योगिक प्रतिपूर्ति का भुगतान किये जाने के बाबजूद डी.आर.एस. अनुसूची के अनुसार ₹ 24.05 करोड़ के बकाये, जिसकी वसूली वर्ष 2013–14 तक नहीं हुई थी, के कारणों को स्पष्ट नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने स्वीकृत मूल्यवर्द्धित कर की वसूली नहीं करने के कारण को भी स्पष्ट नहीं किया, क्योंकि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का आदेश केवल ₹ 123.23 करोड़ के पुराने बकायों की वसूली हेतु लागू था। विभाग को ₹ 37.99 करोड़ के स्वीकृत मूल्यवर्द्धित कर की वसूली हेतु उचित उपायों का सहारा लेना चाहिए। साथ ही शेष बकाये के वसूली हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए इस संबंध में बिहार सरकार या औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से कोई पत्राचार नहीं किया गया।

4.4.11.2 स्वीकृत कर के बकायों का न तो भुगतान किया गया न ही माँग की गयी

पंद्रह अंचलों में 98 व्यवसायियों ने ₹ 556.18 करोड़ के स्वीकृत कर देयता के विरुद्ध केवल ₹ 515.82 करोड़ के कर का ही भुगतान किया था। इस प्रकार, ₹ 2.39 करोड़ के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 42.75 करोड़ के कर बकाया की वसूली नहीं हुई।



चयनित 15 अंचलों में हमने पाया कि 2,722 नमूना-जाँचित व्यवसायियों में से 98 व्यवसायियों ने ₹ 556.18 करोड़ के स्वीकृत कर के विरुद्ध केवल ₹ 515.82 करोड़ के कर का भुगतान किया, जैसाकि उनके रिटर्न में दर्शाया गया था। इस प्रकार वर्ष 2011–12 से 2014–15 के दौरान व्यवसायियों ने ₹ 40.36 करोड़ के स्वीकृत कर का भुगतान नहीं किया। यद्यपि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25(1)(डी) के प्रावधान के अनुसार कर निर्धारण प्राधिकारी

को कर भुगतान के प्रमाण जाँच करने हेतु रिटर्न की संवीक्षा करनी थी तथा तदनुसार व्यवसायियों को सूचना निर्गत करनी थी, परंतु रिटर्न की संवीक्षा करने में कर निर्धारण

प्राधिकारियों की विफलता के कारण ₹ 2.39 करोड़ के आरोप्य ब्याज के अलावे ₹ 40.36 करोड़ का स्वीकृत कर के बकायों की वसूली नहीं हुई, जैसाकि परिशिष्ट-X में दिया गया है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि इस संबंध में कर एवं ब्याज की वसूली हेतु वाणिज्य-कर आयुक्त द्वारा जुलाई 2016 में निर्देश निर्गत किये गये थे।

अनुशंसा-2: व्यवसायियों द्वारा दाखिल रिटर्न के अनुरूप स्वीकृत कर का भुगतान नहीं करने के मामले में सरकार/विभाग को अलर्ट जारी करने/अनुवर्ती कार्रवाई हेतु एक प्रणाली स्थापित करना चाहिए।

4.4.11.3 बकाये पर ब्याज तथा अर्थदण्ड नहीं लगाया जाना

दस अंचलों में ₹ 47.65 करोड़ के कर के बकायों का भुगतान नहीं करने के कारण 94 व्यवसायियों के विरुद्ध ₹ 7.67 करोड़ का ब्याज तथा ₹ 29.22 करोड़ का अर्थदण्ड आरोप्य था, परन्तु कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कोई ब्याज/अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया था।



बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) प्रावधित करता है कि यदि कोई व्यवसायी अथवा व्यक्ति सूचना में निर्दिष्ट अवधि तक कर का भुगतान करने में असफल होता है तब व्यवसायी प्रति माह अथवा उसके किसी भाग के लिये डेढ़ प्रतिशत की दर पर संगणित साधारण ब्याज का भुगतान करेगा। पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 39(5) के अनुसार यदि कोई व्यवसायी अथवा कोई व्यक्ति सूचना में निर्दिष्ट तिथि तक कर अथवा ब्याज का भुगतान करने में असफल होता है, तब विहित प्राधिकारी यह निर्देश दे सकता है कि व्यवसायी पाँच प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड का भुगतान करे। जनवरी 2014 में वाणिज्य-कर आयुक्त ने बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 39(5) के प्रावधान के अंतर्गत व्यवसायी, जिसके विरुद्ध राजस्व के बकाया लंबित था, पर अर्थदण्ड आरोपित करने हेतु निर्देश जारी किया था।

हमने 10 अंचलों⁸ में पाया कि 265 नमूना-जाँचित व्यवसायियों में से 94 व्यवसायियों ने लेखापरीक्षा की तिथि तक वर्ष 2001–02 से 2014–15 तक की अवधि से संबंधित ₹ 47.65 करोड़ के निर्धारित कर का बकाया जमा नहीं किया था। उनके विरुद्ध ₹ 47.65 करोड़ का राजस्व का बकाया लंबित था, जिस पर व्यवसायियों के विरुद्ध बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 39 (3) के अंतर्गत कर भुगतान नहीं करने के कारण ब्याज तथा धारा 39 (5) के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोप्य था। परंतु कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इन मामलों में ब्याज/अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया, यद्यपि ₹ 7.67 करोड़ का ब्याज तथा ₹ 29.22 करोड़ का अर्थदण्ड आरोप्य था, जैसाकि परिशिष्ट-XI में दर्शाया गया है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि ब्याज तथा अर्थदण्ड का आरोपण हेतु वाणिज्य-कर आयुक्त द्वारा जुलाई 2016 में सभी अंचल प्रभारियों को इस संबंध में निर्देश निर्गत कर दिया गया था।

⁸

भूमुआ, भागलपुर, दानापुर, गया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पूर्णिया एवं समस्तीपुर।

4.4.11.4 विभाग में समन्वय की कमी के कारण बकाया लंबित रहना

विभाग में समन्वय की कमी के कारण ₹ 7.36 करोड़ के राजस्व के बकाये की वसूली नहीं हुई थी।

मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल में हमने जून 2016 में पाया कि एक व्यवसायी के विरुद्ध ₹ 7.36 करोड़ का बकाया था। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 47 के अंतर्गत अंचल ने उसके बैंक खाते को जब्त कर बकाये की वसूली का प्रयास किया परंतु वसूली करने में असफल रहा क्योंकि उसके बैंक खाते में राशि नहीं थी। कर-निर्धारण प्राधिकारी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल ने अपर आयुक्त, वाणिज्य-कर तथा वाणिज्य-कर उपायुक्त पटना मध्य अंचल को मामले की जाँच करने का अनुरोध किया तथा पटना मध्य अंचल से व्यवसायी का ब्योरा प्रदान करने का आग्रह किया, जहाँ व्यवसायी ने नये नाम से निबंधन प्राप्त किया था। हालाँकि, पटना मध्य अंचल अथवा मुख्यालय कार्यालय का उत्तर अभिलेख पर नहीं पाया गया। हमने पुनः नवम्बर 2016 में पटना मध्य अंचल में व्यवसायी के स्थायी निबंधन अभिलेख की जाँच की तथा पाया कि इस संबंध में पटना मध्य अंचल द्वारा कोई पत्राचार नहीं किया गया था। इस प्रकार, विभाग में समन्वय की कमी के कारण ₹ 7.36 करोड़ के राजस्व का बकाया लंबित था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि मे0 स्पीड क्रापट के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में वाणिज्य-कर आयुक्त के न्यायालय में मामले का निपटारा कर दिया गया है। हालाँकि, विभाग ने पुनः कहा कि भविष्य में राजस्व की वसूली के लिए सरकारी तंत्र में समन्वय स्थापित की जाएगी। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग उच्च न्यायालय के उपर वर्णित निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय में पहले ही चुनौती दे चुका है।

4.4.11.5 बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत वसूली प्रक्रिया आरंभ नहीं किया जाना

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक व्यवसायी के विरुद्ध लागू वसूली प्रक्रिया आरंभ नहीं की गई थी, जिसके फलस्वरूप ₹ 3.92 करोड़ के राजस्व का बकाया लंबित रहा।

हमने जून 2016 में पाया कि दानापुर अंचल में नमूना-जाँचित 265 मामलों में से एक व्यवसायी के विरुद्ध ₹ 3.92 करोड़ का बकाया वसूली हेतु लंबित था, जैसाकि नीचे तालिका-4.7 में दर्शाया गया है:

तालिका-4.7

वसूली हेतु लंबित बकाये का ब्योरा

वर्ष	धारा जिसके अंतर्गत आदेश जारी किया गया/आदेश की तिथि	निवल माँग की राशि (राशि ₹ में)	माँग सूचना तामील करने की तिथि
2010–11	बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम का 31/12 नवम्बर 2013	29,30,640	व्यवसायी द्वारा माँग सूचना प्राप्त करने से इंकार करने के कारण तामील नहीं की गई
	बिहार मूल्यवर्द्धित	14,47,073	तथैव

	कर अधिनियम का 25(2) / 12 नवम्बर 2013		
2011–12	बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम का 32 / 23 नवम्बर 2013	2,85,86,174.94	तथैव
	बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम का 25(2) / 23 नवम्बर 2013	62,82,675	तथैव
कुल		3,92,46,562.94	

उपरोक्त अवधियों के लिये व्यवसायी के कर-निर्धारण अभिलेखों की जाँच करने के दौरान हमने देखा कि जाली प्रपत्र 'सी' प्रस्तुत करने तथा सरकार को राजस्व की क्षति पहुँचाने हेतु व्यवसायी के विरुद्ध 4 नवम्बर 2013 को आर्थिक अपराध इकाई के थाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आवेदन दिया गया था। परंतु धारा 47 के अंतर्गत कर की वसूली का विशेष प्रक्रिया अपनाकर अथवा धारा 39(6) के अंतर्गत नीलामवाद दायर कर ₹ 3.92 करोड़ के राजस्व की वसूली हेतु कार्रवाई नहीं की गई थी। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 48 के अंतर्गत कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा जमानतदारों पर उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया था। आर्थिक अपराध इकाई में दर्ज मामलों की स्थिति भी अभिलेख पर नहीं पाया गया। इस प्रकार, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत लागू वसूली प्रक्रिया आरंभ नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप ₹ 3.92 करोड़ के राजस्व के बकाये का विलंबन हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि बकाये की वसूली हेतु वसूली की विशेष प्रक्रिया का प्रावधान अपनाये जाने हेतु निदेश निर्गत कर दिया गया है।

4.4.11.6 लापता व्यवसायियों से राजस्व के बकायों की वसूली नहीं किया जाना

₹ 1.76 करोड़ के राजस्व के बकाये की वसूली दो लापता व्यवसायियों से नहीं की गई थी।

हमने जून 2016 में पाया कि दानापुर अंचल में नमूना-जाँचित 265 व्यवसायियों में से दो व्यवसायियों के विरुद्ध वर्ष 2012–13 की अवधि से संबंधित ₹ 1.76 करोड़ का बकाया वसूली हेतु लंबित था। परंतु व्यवसायिक स्थल को बंद कर दिये जाने के कारण माँग पत्र तामिल नहीं की जा सकी तथा तब से व्यवसायियों का पता नहीं चल पाया। यहाँ तक कि झारखण्ड राज्य में अवस्थित व्यवसायी के स्थायी पते पर सूचना भेजी गई परंतु व्यवसायी द्वारा सूचना लेने से इंकार करने के कारण वापस आ गया। जिसके कारण ₹ 1.76 करोड़ के राजस्व की क्षति हो सकती है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अक्टूबर 2016 में आयोजित अंतिम सम्मेलन में कहा कि बकाये की वसूली के लिए सभी संभावित उपाय किये गये थे। विभाग को चाहिए था कि चूककर्ता व्यवसायियों का विवरण, झारखण्ड स्थित स्थायी पता का जिक्र करते हुये, स्थानीय दैनिक अखबार में सूचना प्रकाशित करें।

4.4.11.7 राजस्व के बकाये का भुगतान बिना ब्याज के किया जाना

आठ अंचलों में, 20 व्यवसायियों ने ₹ 27.14 करोड़ के स्वीकृत/निर्धारित कर के बकाये का भुगतान विलंब से किया था, परंतु कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ₹ 68.07 लाख के ब्याज का आरोपण नहीं किया गया था।

हमने आठ अंचलों⁹ में पाया कि नमूना-जाँचित 2,722 व्यवसायियों में से, 20 व्यवसायियों ने वर्ष 2012–13 से 2014–15 की अवधि के दौरान ₹ 27.14 करोड़ के स्वीकृत/निर्धारित कर के बकाये का भुगतान एक दिन से 22 माह 11 दिन के विलंब से किया था। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24(10) के अंतर्गत व्यवसायियों ने न तो आरोप्य डेढ़ प्रतिशत प्रति माह की दर पर ब्याज का भुगतान किया न ही करों के बकाये के विलंब भुगतान के लिए कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 68.07 लाख के ब्याज का आरोपण किया, जैसाकि परिशिष्ट-XII में दर्शाया गया है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि इस संबंध में ब्याज की वसूली के लिए निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।

4.4.11.8 गलत माँग सूजित किया जाना

कर निर्धारण/संवीक्षा के दौरान गलत माँग सूजित किये जाने के कारण ₹ 8.41 करोड़ के बकाये का कम सूजन हुआ।

दो अंचलों (दानापुर तथा समस्तीपुर) में नमूना-जाँचित 265 व्यवसायियों में से तीन व्यवसायियों के मामले में हमने मई तथा जून 2016 के बीच पाया कि वर्ष 2012–13 तथा 2014–15 से संबंधित ₹ 2.71 करोड़ का बकाया तीन व्यवसायियों के विरुद्ध वसूली हेतु लंबित था। अभिलेखों की जाँच से प्रकट हुआ कि गलत संवीक्षा/कर-निर्धारण के कारण कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 8.41 करोड़ के राजस्व का माँग कम किया था, फलस्वरूप ₹ 8.41 करोड़ के वसूली हेतु माँग नहीं की गयी, यद्यपि ऐसे माँग हेतु व्यवसायियों की देयता थी जिसमें बिहार मूल्यवर्द्धित कर/बिहार प्रवेश कर अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत आरोप्य ब्याज तथा अर्थदण्ड भी सम्मिलित है। इसके फलस्वरूप ₹ 8.41 करोड़ के कर-देयता का कम सूजन हुआ, जैसा कि परिशिष्ट-XIII में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि इन मामलों में त्वरित कार्रवाई करने हेतु संबंधित अंचलों को निर्देश निर्गत कर दिया गया था।

4.4.11.9 सुविधा का उपयोग करते हुये आयातित कोयला पर व्यवसायियों द्वारा कर का भुगतान नहीं किया जाना

चार अंचलों में 10 व्यवसायियों से आरोप्य ₹ 14.82 लाख के ब्याज एवं ₹ 1.69 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 2.40 करोड़ हेतु माँग तथा वसूली नहीं की गयी थी।

हमने चार अंचलों¹⁰ में पाया कि नमूना-जाँचित 2,722 व्यवसायियों में से 10 व्यवसायियों ने ऑनलाईन ‘सुविधा’ का उपयोग कर राज्य के बाहर से ₹ 12.19 करोड़ के कोयले का आयात किया था परंतु उनमें से किसी ने भी अपने रिटर्न में क्रय को नहीं दर्शाया था।

⁹ दानापुर, गया, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना सिटी पूर्वी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, समस्तीपुर तथा सीतामढ़ी।

¹⁰ दानापुर, दरभंगा, गया तथा समस्तीपुर।

इस प्रकार, वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 के दौरान इन व्यवसायियों द्वारा ₹ 12.19 करोड़ के माल का आयात मूल्य का छिपाव किया गया। तब से सभी व्यवसायियों ने अपना व्यापार समाप्त कर दिया था। इस प्रकार, कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा उन व्यवसायियों द्वारा दाखिल रिटर्न को ‘सुविधा’ के साथ तिर्यक जाँच नहीं करने के कारण आरोप्य ₹ 14.82 लाख के ब्याज तथा ₹ 1.69 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 2.40 करोड़ के कर की वसूली हेतु माँग सृजित नहीं किया जा सका, जिसके कारण राजस्व बकाये का सृजन हुआ। यह कर भुगतान तथा ‘सुविधा’ के सत्यापन के प्रति विभाग के नियंत्रण की कमी को दर्शाता है, जैसा कि परिशिष्ट-XIV में प्रदर्शित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि जांचोपरान्त व्यवसायियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

4.4.12 नीलामवाद मामलों से संबंधित मुद्दे

4.4.12.1 नीलामवाद मामला कम दायर करना

पंद्रह अंचलों में 31 मार्च 2016 को ₹ 3,637.55 करोड़ के बकाये के 11,497 मामलों में से ₹ 83.19 करोड़ (2.29 प्रतिशत) के केवल 2,641 मामले ही नीलामवाद से आच्छादित थे।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 39(6) प्रावधित करता है कि उपधारा (2), (4) तथा (5) के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई कर, अर्थदण्ड के साथ ब्याज की राशि, जो उपधारा (2) के अंतर्गत निर्गत सूचना में निर्दिष्ट तिथि के बाद भी भुगतान नहीं किया गया हो अथवा उपधारा (5) के अंतर्गत अर्थदण्ड लगाया गया हो तथा भुगतान नहीं किया गया हो तो वसूली की अन्य प्रक्रियाओं के पक्षपात के बगैर भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूल की जाएगी।

चयनित 15 अंचलों में हमने पाया कि 31 मार्च 2016 को बकायों की वसूली हेतु ₹ 3,637.55 करोड़ के 11,497 मामलों में से केवल ₹ 83.19 करोड़ के 2,641 मामले ही 31 मार्च 2016 तक नीलामवाद द्वारा आच्छादित थे। यह स्पष्ट था कि 31 मार्च 2016 को राजस्व के कुल बकाये का मात्र 2.29 प्रतिशत ही नीलामवाद द्वारा आच्छादित थे क्योंकि ऐसे मामलों को दायर करने के लिए कोई समय सीमा/दिशा निर्देश विहित नहीं किये गये थे। यद्यपि ₹ 30.09 करोड़ राशि के 86 नीलामवाद मामले, नौ नमूना-जाँचित अंचलों¹¹ में वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान दायर किये गये थे, जबकि उपर्युक्त अवधि के दौरान छह अंचलों¹² में 3,009 मामलों में ₹ 2,704.57 करोड़ के राजस्व बकाया लंबित रहने के बावजूद कोई भी नीलामवाद मामला दायर नहीं हुआ था। विवरण नीचे तालिका-4.8 में दर्शाया गया है।

¹¹ भमुआ, भागलपुर, दानापुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पूर्णिया, समस्तीपुर तथा सीतामढ़ी।

¹² हाजीपुर, किशनगंज, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी तथा पटना विशेष।

तालिका—4.8

नीलामवाद मामले

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभ शेष		वर्ष के दौरान दायर नीलामवाद मामलों की सं0		वसूली की गयी बकायों की राशि		अंत शेष	
	नीलामवाद मामलों की सं0	राशि	नीलामवाद मामलों की सं0	राशि	नीलामवाद मामलों की सं0	राशि	नीलामवाद मामलों की सं0	राशि
2011–12	2,679	85.79	3	0.03	9	1.12	2,673	84.70
2012–13	2,673	84.70	1	0.68	15	2.05	2,659	83.33
2013–14	2,659	83.33	3	0.12	80	6.28	2,582	77.17
2014–15	2,582	77.17	50	5.09	8	1.19	2,624	81.07
2015–16	2,624	81.07	29	24.16	12	22.04	2,641	83.19
कुल		86	30.09	124	32.68			

पुनः हमने पाया कि दायर नीलामवाद मामलों में संबंधित पदाधिकारियों द्वारा कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी, ताकि इसमें सन्निहित राजस्व की वसूली की जा सके।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने नीलामवाद मामले दायर करने हेतु सभी कर निर्धारण प्राधिकारियों/संयुक्त आयुक्त को जुलाई 2016 में निर्देश जारी किया, जहाँ बकाये की वसूली लंबे अवधि से लंबित थे तथा दायर नीलामवाद मामलों का आवश्यक अनुश्रवण किया जाना था।

4.4.12.2 नीलामवाद पदाधिकारी की निहित शक्ति का उपयोग नहीं किया जाना

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 46(1) के अनुसार बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत नियुक्त सभी प्राधिकारी को इस अधिनियम के अंतर्गत कर, ब्याज तथा अर्थदण्ड की वसूली के उद्देश्य हेतु वही शक्ति होगी जैसा कि बिहार तथा ओडिशा लोक माँग तथा वसूली (पी डी आर) अधिनियम, 1914 के अंतर्गत नीलामवाद पदाधिकारी को प्रदत्त है।

नमूना—जाँचित अंचलों में हमने पाया कि कर, ब्याज तथा अर्थदण्ड की वसूली के उद्देश्य से किसी भी विभागीय प्राधिकारियों द्वारा नीलामवाद पदाधिकारी के शक्ति का उपयोग वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान नहीं किया गया था, जबकि लोक माँग वसूली अधिनियम के अंतर्गत नीलामवाद पदाधिकारी के समान उन्हें शक्ति प्रदान की गई थी। इसके बजाय उन्होंने नीलामवाद पदाधिकारियों के समक्ष नीलामवाद दायर करने हेतु अनुरोध पत्र, जैसा कि कंडिका 4.4.12.1 में दर्शाया गया है, भेजा।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अक्टूबर 2016 में आयोजित अंतिम सम्मेलन में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया।

4.4.12.3 नीलामवाद मामलों को समाप्त किये जाने के कारण राजस्व की हानि

नीलामवाद मामलों को समाप्त किये जाने के कारण 75 मामलों में ₹ 5.70 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

एक बार आरंभ होने के पश्चात् नीलामवाद कार्यवाही को समाप्त करने का प्रावधान लोक मँग वसूली अधिनियम में नहीं है। अधियाची पदाधिकारी का यह कर्तव्य है कि चूककर्ता का सही पता प्रदान करें, जिनके विरुद्ध नीलामवाद पदाधिकारी द्वारा नीलामवाद दायर होना था।

दानापुर अंचल में नीलामवाद मामलों की पंजी के नमूना जाँच के दौरान हमने जून 2016 में पाया कि जिला नीलामवाद पदाधिकारी, पटना ने नीलामवाद कार्यवाही को समाप्त कर दिया तथा ₹ 5.70 करोड़ से सन्तुष्टि 75 नीलामवाद मामलों को सितम्बर 2013 में अंचल को लौटा दिया था, जिसका कारण कर चूककर्ताओं का पता नहीं लग पाना था, अतः सूचना भेज पाना संभव नहीं हो रहा था। इससे फलस्वरूप ₹ 5.70 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अक्टूबर 2016 में आयोजित अंतिम सम्मेलन में कहा कि व्यापार बंद होने के कारण व्यवसायियों का पता नहीं चल पाया। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उन व्यवसायियों को उनके स्थायी पते पर खोजने का प्रयास करना चाहिए था।

प्रणालीगत मामले

4.4.13 वसूली को सरल बनाने हेतु समय सीमा एवं अन्य मानक प्रक्रियाओं का विहित नहीं होना

मँग—पत्र निर्गत करने हेतु समय सीमा तथा बैंक खाते की जब्ती, नीलामवाद दायर करना तथा जमानतदारों पर उत्तरदायित्व लागू करने जैसे मानक प्रक्रियायें, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम में विहित नहीं की गयी थी।

- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 39(2) प्रावधित करता है कि व्यवसायी द्वारा भुगतेय कर, ब्याज, जुर्माना अर्थदण्ड की राशि विहित प्राधिकारी द्वारा इस उद्देश्य से निर्गत सूचना में निर्दिष्ट तिथि तक तथा ऐसी रीति से जो विहित किया जाए, व्यवसायी द्वारा भुगतान किया जाएगा तथा निर्दिष्ट तिथि साधारणतया ऐसी सूचना तामील होने की तिथि से तीस दिनों से कम नहीं होनी चाहिए।

हमने पाया कि यद्यपि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम तथा नियमावली, भुगतान तिथि, जो मँग पत्र तामील होने की तिथि से एक माह से कम न हो, निर्धारित करते हुए मँग पत्र निर्गत करना प्रावधित करता है, लेकिन कर निर्धारण/पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने के पश्चात् मँग पत्र निर्गत करने हेतु कोई समय सीमा विहित नहीं किया गया है।

इसके फलस्वरूप हमने पाया कि 15 चयनित अंचलों में 265 नमूना—जाँचित मामलों में से चार अंचलों¹³ के 46 मामलों में वर्ष 2009–10 से 2014–15 से संबंधित ₹ 15.46 करोड़ की मँग पत्र जारी की गई जो आदेश तिथि से सात दिनों से 11 माह तक के विलंब से व्यवसायियों को निर्गत एवं तामील कराया गया था। हमने पुनः पाया कि नौ अंचलों¹⁴ के 78 मामलों में वर्ष 2007–08 से 2014–15 से संबंधित ₹ 28.42 करोड़ का मँग पत्र भुगतान हेतु किसी निर्धारित तिथि का उल्लेख किये बिना व्यवसायियों को तामील कराया गया था।

¹³ दानापुर, हाजीपुर, पटना दक्षिणी एवं समस्तीपुर।

¹⁴ भमुआ, दानापुर, हाजीपुर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पूर्णियां एवं समस्तीपुर।

- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 39(6) बकाये के वसूली के लिए व्यवसायी के विरुद्ध पी डी आर अधिनियम, 1914 के प्रावधान के अंतर्गत नीलामवाद दायर करना प्रावधित करता है, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 47 में व्यवसायी का बैंक खाता जब्त करने का प्रावधान है तथा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 48 में व्यवसायी के विरुद्ध राजस्व के बकाये की वसूली हेतु लागू सभी प्रक्रियाओं को जमानतदारों पर भी लागू करने का प्रावधान है।

परंतु उपरोक्त वसूली प्रक्रियाओं को आरंभ करने हेतु बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम/नियमावली में या वाणिज्य-कर आयुक्त द्वारा कोई मानक प्रक्रिया तथा समय सीमा विहित नहीं की गई थी, जिस प्रकार की प्रक्रिया अपने बकाये की वसूली हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपनायी जाती है।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि माँग पत्र में भुगतान की तिथि का उल्लेख सख्ती से करने के लिए जुलाई 2016 में एक परिपत्र जारी किया गया था। “विभिन्न वसूली प्रक्रिया के आरंभ करने हेतु विनिर्दिष्ट समय सीमा/मानक प्रक्रियाओं का अभाव” से संबंधित आपत्ति की प्रतिक्रिया में विभाग ने उत्तर दिया कि माँग पत्र, कर-निर्धारण आदेश का एक भाग है, अतः माँग पत्र जारी करने हेतु कोई समय सीमा विहित करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि उन्होंने स्वीकार किया कि बैंक खाता की जब्ती, नीलामवाद मामले दर्ज करने तथा जमानतदारों पर देयता लागू करने जैसे अन्य वसूली प्रक्रिया हेतु कोई समय सीमा विहित नहीं है।

माँग पत्र संबंधी विभाग का उत्तर सही नहीं था क्योंकि माँग पत्र जारी करने हेतु बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत कोई समय सीमा/मानक प्रक्रिया विहित नहीं था।

अनुशंसा-3: सरकार/विभाग को माँग पत्र जारी करने हेतु समय सीमा निर्धारित करने, बैंक खाता जब्ती, नीलामवाद मामले दर्ज करना तथा जमानतदारों पर वसूली की प्रक्रियाओं को समय पर लागू करने से संबंधित मानक प्रक्रियाओं को विहित करने पर विचार करना चाहिए, जैसाकि बैंकों द्वारा अपनाया जाता है।

4.4.14 सभी व्यवसायियों के लिए जमानत प्राप्त करने का प्रावधान अनिवार्य नहीं बनाया गया

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत उन व्यवसायियों से जमानत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं बनाया गया था, जो इस अधिनियम के अंतर्गत कर भुगतान करने हेतु योग्य थे।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 21 के प्रावधान के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत देय कर की उचित वसूली हेतु विहित प्राधिकारी किसी व्यवसायी को ऐसे जमानत निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है जो विहित किया जाए। इसके अतिरिक्त, बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 6 के प्रावधान के अनुसार अंचल प्रभारी किसी व्यवसायी को जमानत प्रस्तुत करने का आदेश दे सकते हैं जो साधारणतः व्यवसायी द्वारा भुगतेय प्राक्कलित कर की राशि, जो किसी वर्ष के एक तिमाही की अवधि से अधिक न हो, के समतुल्य होगी।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 19 के परन्तुक के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत कर भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं होने वाले व्यवसायी भी निबंधन प्रमाणपत्र हेतु आवेदन कर सकते हैं, परन्तु इस प्रावधान के अंतर्गत किसी व्यक्ति से निबंधन हेतु कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा जब तक कि आवेदक निबंधन हेतु आवेदन के साथ विहित

प्रपत्र एवं रीति से जमानत राशि, जो कि दस हजार रुपये के बराबर हो, के साथ आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा।

- उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम/नियमावली में अनिवार्य रूप से उन व्यवसायियों से जमानत प्राप्त करने का प्रावधान है जो कर के भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं हैं परंतु कोई अनिवार्य प्रावधान उन व्यवसायियों के लिए नहीं बनाया गया जो इस प्रावधान के अंतर्गत कर के भुगतान हेतु उत्तरदायी हैं ताकि कर तथा बकाये की वसूली उचित रूप से हो सके। वैसे मामलों में जमानत प्राप्त करना कर निर्धारण प्राधिकारियों के विवेक पर निर्भर करता है। पुनः हमने पाया कि इस संबंध में उन व्यवसायियों से जमानत प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया गया था, जो कर भुगतान हेतु उत्तरदायी थे ताकि विवेकाधिकार का उपयोग पारदर्शी तरीके से किया जा सके।

चयनित 15 अंचलों में से नौ अंचलों¹⁵ में हमने 134 व्यवसायियों के स्थायी अभिलेखों की जाँच की तथा पाया कि 48 मामलों में कोई जमानत प्राप्त नहीं की गयी थी, यद्यपि दो अंचलों (हाजीपुर तथा पटना विशेष) के चार ऐसे व्यवसायियों (48 मामलों में से) के विरुद्ध ₹ 3.94 करोड़ का बकाया लंबित था। हाजीपुर अंचल के दो मामलों में जमानत के साथ व्यक्तिगत बॉण्ड प्राप्त किया गया जो बिना किसी मूल्य का था। पटना विशेष अंचल के पाँच मामलों में नौ लाख रुपये के बैंक प्रतिभूति के रूप में जमानत लिया गया था, परंतु सभी पाँच मामलों में बैंक प्रतिभूति की वैधता समाप्त हो गयी थी, यद्यपि इन व्यवसायियों के विरुद्ध ₹ 21.87 करोड़ का बकाया लंबित था। परंतु बैंक प्रतिभूति का पुनः वैधीकरण नहीं पाया गया, इस प्रकार जमानत प्राप्त करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त, हमने पाया कि न तो एक तिमाही की कर देयता का प्राक्कलन हुआ था और न ही एक तिमाही के कर के समतुल्य जमानत किसी मामले में लिया गया था।

- चार अंचलों¹⁶ में हमने पाया कि उपर वर्णित प्रावधान के अनुसार केवल ₹ 10,000 का जमानत प्राप्त कर वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान 6,428 व्यवसायियों को निबंधन प्रमाणपत्र प्रदान किये गये यद्यपि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ व्यवसायी कर भुगतान के लिए योग्य थे तथा निबंधन के तुरंत बाद ही रिटर्न जमा करना शुरू कर दिये थे। इस प्रकार, बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 6 के अनुसार पर्याप्त जमानत प्राप्त करने के बदले ₹ 10,000 की मामूली राशि की जमानत प्राप्त करने के बाद कर भुगतान करने हेतु योग्य व्यवसायियों को निबंधन प्रदान करना, राजस्व की वसूली के लंबित रहने के जोखिम से भरा था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि जमानत प्रस्तुत करने की बाध्यता व्यापार पर प्रतिकूल असर डालेगा। उन्होंने पुनः कहा कि शीघ्र ही 'वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर' लागू होने की संभावना है अतः वर्तमान समय में जमानत प्रस्तुत करने की बाध्यता संबंधी नियम बनाना प्रासंगिक नहीं है।

विभाग का उत्तर विरोधाभासी है क्योंकि कर भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं होने वाले व्यवसायियों के निबंधन के मामले में ₹ 10,000 की जमानत पहले ही अनिवार्य है। इसलिए विभाग को उपरोक्त नियमावली के अनुरूप कर के भुगतान हेतु योग्य व्यवसायियों के लिए अनिवार्य जमानत पर विचार करना चाहिए क्योंकि यही वे व्यवसायी हैं जिनके विरुद्ध बकाया लंबित है।

¹⁵ भमुआ, भागलपुर, दानापुर, दरभंगा, गया, हाजीपुर, पटना सिटी पश्चिमी, पटना विशेष एवं पूर्णिया।

¹⁶ दरभंगा, हाजीपुर, किशनगंज एवं समस्तीपुर।

अनुशंसा-4: राजस्व की सुरक्षा हेतु कर एवं बकाये की उचित वसूली के लिए सभी व्यवसायियों हेतु पर्याप्त जमानत राशि प्राप्त करने की अनिवार्य प्रणाली प्रदान करने हेतु सरकार/विभाग को विचार करना चाहिए।

4.4.15 जमानत के जब्ती के लिए प्रावधान का अभाव

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत बकाये की राशि की वसूली हेतु व्यवसायी से प्राप्त जमानत को जब्त करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 52 के प्रावधान के अनुसार यदि धारा 19 के अंतर्गत प्रदत्त निबंधन का प्रमाणपत्र रद्द हो जाता है, तब व्यवसायी प्रस्तुत जमानत की वापसी हेतु संबंधित अंचल प्रभारी को आवेदन देंगे। अंचल प्रभारी जमानत की राशि वापस कर देंगे, परन्तु पूर्व विधि अथवा अधिनियम के अंतर्गत यदि आवेदक के पास अभुगतित कर दायित्व की देयता हो तो ऐसी देयता का समायोजन पहले जमानत से किया जाएगा तथा ऐसे समायोजन के बाद ही शेष राशि, यदि हो, वापस की जाएगी।

हमने पाया कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत व्यवसायी से वसूलनीय राजस्व बकाये की कोई राशि की वसूली/सामंजन हेतु, व्यवसायी से लिये गये जमानत को जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 52 के अंतर्गत बकाये की वसूली के लिये जमानत की जब्ती हेतु प्रावधान है।

विभाग का उत्तर सही नहीं है क्योंकि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के नियम 52(2) में निबंधन प्रमाणपत्र को रद्द किये जाने की स्थिति में ही केवल जमानत की वापसी तथा समायोजन का प्रावधान है न कि चालू अथवा बंद व्यापार से राजस्व के बकायों की वसूली करने हेतु।

अनुशंसा-5: सरकार/विभाग को बकाया की देयता को समायोजित करने हेतु जमानत का जब्त किया जाना विहित करने पर विचार करना चाहिए।

4.4.16 वसूली कोषांग का गठन नहीं किया जाना

अधिनियम में संशोधन के एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी सरकार/विभाग ने वसूली कोषांग के गठन हेतु विभागीय गजट में प्रकाशित होने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया था।

बिहार वित्त अधिनियम 2015 (बिहार अधिनियम 9, 2015) के द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम में एक नई धारा 46ए समाविष्ट किया गया, जिसमें प्रावधान है कि विभागीय गजट में आदेश प्रकाशित कर राज्य सरकार को बकाये के वसूली हेतु आवश्यक वसूली कोषांगों का गठन करना था।

जून 2016 में वाणिज्य-कर आयुक्त, के कार्यालय में हमने पाया कि अधिनियम में संशोधन के एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी वसूली कोषांग का गठन करने तथा कोषांगों में परिनियोजित कार्मिकों एवं पदाधिकारियों की संख्या विनिर्दिष्ट करने, उनके कार्य, उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य, साथ ही पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का पदानुक्रम के लिए सरकार/विभाग ने ऐसा कोई आदेश निर्गत नहीं किया था। इस प्रकार, ऐसे वसूली कोषांगों के सृजन हेतु अधिनियम में संशोधन का उद्देश्य पुरा नहीं हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि पदों का सृजन किया गया है तथा वसूली कोषांग का गठन किया गया है एवं प्रमंडल-वार वसूली कोषांगों में पदाधिकारियों को पदस्थापित किया गया है। तथापि, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 46 (ए) की उप धारा (2) (3) तथा (4) के अधीन कोषांग के कार्य एवं उत्तरदायित्व हेतु आदेश जारी किया जाना है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इस संबंध में जून 2016 में हमारे अवलोकन के उपरांत केवल पदाधिकारियों की पदस्थापना का यह मतलब नहीं है कि उपरोक्त वसूली कोषांग का गठन हो गया। उपरोक्त अधिनियम की धारा 46ए के प्रावधान के अनुसार इसके गठन हेतु गजट अधिसूचना जारी नहीं की गई थी।

4.4.17 स्रोत पर कर की कटौती प्रमाणपत्र (सी-II) के सत्यापन हेतु प्रणाली का अभाव

स्रोत पर कर की कटौती के माध्यम से भुगतान के दावे को समर्थित करने के लिये 'सी-II' अपलोड करने का कोई तंत्र नहीं था, अतः भुगतान के दावे की प्रमाणिकता सत्यापित नहीं हो पाती है, जिसके कारण परिहार्य बकायों का सृजन हो सकता है।

हमने छह अंचलों¹⁷ में पाया कि 2,722 नमूना-जाँचित व्यवसायियों में से 55 व्यवसायियों ने वर्ष 2013–14 से 2014–15 की अवधि के दौरान ₹ 19.51 करोड़ की अपनी कर देयता के भुगतान का दावा भुगतानकर्ता प्राधिकारी द्वारा स्रोत पर कर की कटौती की राशि से किया। परंतु विभाग ने स्रोत पर कर की कटौती के दावे को समर्थित करने हेतु रिटर्न अपलोड करते समय "सी-II" (कर कटौती प्रमाणपत्र) को अपलोड करने का कोई तंत्र विकसित नहीं किया था। "सी-II" के अभाव में भुगतान के दावे की प्रमाणिकता सत्यापित नहीं की जा सकी, जिससे राजस्व के बकाये का परिहार्य रूप से सृजन हो सकता था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा अगस्त 2016 में कहा कि "वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर" जल्द ही लागू होने की संभावना है, जिसमें इस मुद्दे को संबोधित कर लिया जाएगा।

4.4.18 बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2015 के अंतर्गत बकाये का समाधान

₹ 2,782.01 करोड़ के कुल देय बकाया में से ₹ 3.40 करोड़ (0.12 प्रतिशत) की मामूली राशि की वसूली मात्र 50 व्यवसायियों से इस समाधान योजना के अन्तर्गत किया गया था।

वाणिज्य-कर विभाग के अंतर्गत राजस्व के बकायों के समाधान हेतु एकमुश्त समाधान योजना¹⁸ बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2015¹⁹ के रूप में अगस्त 2015 में लायी गई जो 19 अगस्त 2015 से 18 नवम्बर 2015 की अवधि हेतु प्रभावी था तथा वर्ष 2010–11 तक के कार्यवाहियों से उत्पन्न हुए विवादों पर लागू थी।

वाणिज्य-कर आयुक्त, द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार हमने पाया कि योजना के अंतर्गत समाधान हेतु 86 मामले प्राप्त हुए, जिसमें से केवल 50 मामले स्वीकार किये गये तथा व्यवसायियों से समाधान राशि के रूप में केवल ₹ 3.40 करोड़ की वसूली हुई, जो कि 31 मार्च 2015 को ₹ 2,782.01 करोड़ के कुल बकाये राशि का मामूली प्रतिशत (0.12 प्रतिशत) था।

¹⁷ दानापुर, दरभंगा, हाजीपुर, किशनगंज, पूर्णिया एवं समस्तीपुर।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एकमुश्त समाधान योजना राजस्व के बकाये के समाधान हेतु प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ। योजना का लाभार्थियों के बीच प्रभावी रूप से प्रचार-प्रसार नहीं किया गया, क्योंकि इसे केवल एक ही बार दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि चुनाव हेतु आचार संहिता लागू होने के कारण प्रथम कर समाधान योजना का वृहत् प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सका था। इसके बाद द्वितीय बार इस योजना का विस्तृत रूप से प्रचार-प्रसार किया गया था।

4.4.19 कर भुगतान प्रमाणपत्र का जारी किया जाना

एक व्यवसायी को कर भुगतान प्रमाणपत्र प्रदान किया गया जबकि उसने ₹ 1.07 करोड़ के स्वीकृत कर का बकाया का भुगतान नहीं किया था।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 42 के अनुसार माल की बिक्री अथवा आपूर्ति से संबंधित कोई भी संविदा किसी भी व्यक्ति को राज्य अथवा केंद्रीय सरकार अथवा किसी कंपनी, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, उपक्रम अथवा सरकार के स्वामित्व वाले अन्य निकाय द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी तथा किसी व्यक्ति को व्यापार अथवा कारोबार जारी रखने हेतु तब तक लाइसेंस प्रदान नहीं की जाएगी जब तक वह विहित प्राधिकारी द्वारा निर्गत कर भुगतान प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करता है, परन्तु ऐसा प्रमाणपत्र किसी भी वैसे निबंधित व्यवसायी को प्रदान नहीं की जाएगी जो इस अधिनियम के अधीन देय कर, अर्थदण्ड अथवा ब्याज के भुगतान में चूक किया हो।

हमने मई 2016 में गया अंचल में पाया कि एक व्यवसायी को कर भुगतान प्रमाणपत्र जुलाई 2015 में प्रदान किया गया था, यद्यपि वर्ष 2014–15 से संबंधित ₹ 1.07 करोड़ का स्वीकृत कर का भुगतान जुलाई 2015 तक उसके द्वारा नहीं किया गया था। इस प्रकार, कर एवं बकाया का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित किये बिना ही कर भुगतान प्रमाणपत्र प्रदान कर दिया गया था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि जुलाई 2016 में इस संबंध में सभी अंचलों को निर्देश जारी कर दिया गया था।

4.4.20 जमानतदारों को उत्तरदायी बनाते हुए बकाये की वसूली

बकाये की वसूली हेतु जमानतदारों की देयता लागू करने की कार्रवाई 15 चयनित अंचलों में से किसी भी अंचल द्वारा नहीं की गई थी।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 48 के प्रावधान के अनुसार इस अधिनियम के अधीन जमानतदारों की देयता, जमानत राशि के उस हद तक चूककर्ता व्यवसायी के साथ सह विस्तृत होगी तथा व्यवसायी के विरुद्ध लागू होने वाले वसूली के सभी प्रक्रिया विहित प्राधिकारी द्वारा जमानतदारों के विरुद्ध लागू की जायेगी।

हमने चयनित 15 अंचलों में पाया कि 265 नमूना-जाँचित मामलों में उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुसार राजस्व बकाये की राशि वसूली हेतु जमानतदारों की देयता लागू करने की कार्रवाई वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान किसी भी अंचल द्वारा नहीं की गई थी। दानापुर अंचल के सिवाय किसी मामले में जमानतदारों की देयता निर्धारित नहीं की गयी थी, जहाँ ₹ 68.10 लाख के बकाये की वसूली हेतु एक मामले में जमानतदार को सूचना जारी की गई थी, परन्तु वसूली नहीं की जा सकी तथा दानापुर अंचल के एक दूसरे मामले में जमानतदार को सूचना, सही पता के अभाव में नहीं तामील किया जा सका था।

4.4.21 विभिन्न न्यायालयों में लंबित पड़े रहने के कारण सरकारी राजस्व का अवरुद्ध रहना

4.4.21.1 अपीलीय न्यायालय

31 मार्च 2016 को अपीलीय न्यायालयों में 1,719 मामलों के लंबित रहने के कारण ₹ 922.11 करोड़ का बकाया अवरुद्ध था।



बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 72 के प्रावधान के अनुसार कोई व्यवसायी अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है जो अपीलकर्ता तथा उस प्राधिकारी, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, को सुनने का उचित अवसर देने के बाद आदेश पारित करेगा।

विभिन्न अपील प्रमंडलों के अपीलीय मामलों के मासिक प्रतिवेदन के नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि ₹ 922.11 करोड़ की राशि से सन्तुष्टि 1,719 मामले 31 मार्च 2016 को अपीलीय न्यायालयों में लंबित थे, जिसका विवरण नीचे तालिका-4.9 में दिया गया है:

तालिका 4.9
अपीलीय न्यायालयों में लंबित मामले

अपील प्रमंडल के नाम	अंत शेष		अभियुक्ति
	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	
तिरहुत तथा सारण प्रमंडल मुजफ्फरपुर	212	1,170.71	मार्च 2016 के मासिक प्रतिवेदन के अनुसार।
दरभंगा प्रमंडल	54	1,976.70	
पटना पूर्वी तथा पश्चिमी प्रमंडल	364	10,203.41	
भागलपुर प्रमंडल	85	432.62	
केंद्रीय प्रमंडल, पटना	380	76,057.48	
पूर्णिया प्रमंडल	274	985.58	प्रमंडल द्वारा प्रस्तुत ब्योरे के अनुसार (8 जून 2016)।
गया प्रमंडल	350	1,384.10	प्रमंडल द्वारा प्रस्तुत ब्योरे के अनुसार (21 जून 2016)।
कुल	1,719	92,210.60	

अपीलीय प्रमंडलों में लंबित मामले वर्ष 2011–12 में ₹ 623.92 करोड़ की राशि से सन्तुष्टि 953 मामलों से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 922.10 करोड़ की राशि से सन्तुष्टि 1,719 मामले हो गये। इस प्रकार यह स्पष्ट था कि अपीलीय न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान लगभग दुगुनी हो गयी।

4.4.21.2 वाणिज्य-कर आयुक्त का न्यायालय

31 मार्च 2016 को वाणिज्य-कर आयुक्त न्यायालय में 735 मामले लंबित रहने के कारण ₹ 281.84 करोड़ के बकाये अवरुद्ध थे।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 74 के अधीन वाणिज्य-कर आयुक्त अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित किसी कार्यवाही के अभिलेख की माँग एवं जाँच स्वप्रेरणा से कर सकते हैं।

जून 2016 में वाणिज्य-कर आयुक्त के कार्यालय में स्वप्रेरित पुनरीक्षण मामलों की पंजी एवं विवरणी की लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि ₹ 281.84 करोड़ से सन्तुष्टि 735 मामले 31 मार्च 2016 तक निष्पादन हेतु लंबित थे। लंबित मामलों का समय-वार विश्लेषण नीचे तालिका-4.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.10

वाणिज्य-कर आयुक्त न्यायालय में निष्पादन हेतु लंबित मामले

(₹ करोड़ में)

बकाये की आवधिकता	मामलों की संख्या	बकाये की राशि
10 वर्ष तथा उससे अधिक पुराने	22	0.18
पाँच वर्ष या उससे अधिक परंतु 10 वर्षों से कम पुराने	27	5.23
पाँच वर्षों से कम पुराने	686	276.43
कुल	735	281.84

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ₹ 281.84 करोड़ से सन्तुष्टि 735 मामलों में से ₹ 276.43 करोड़ का बकाया पाँच वर्षों से कम पुराने थे। आगे हमने पाया कि स्वप्रेरित मामलों के निष्पादन हेतु बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम/नियमावली के अधीन कोई समय सीमा विहित नहीं की गई है, जिससे मामले लंबित रहे।

- हमने पुनः पाया कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 73(7) में न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के समक्ष दर्ज अपील मामलों के निष्पादन हेतु छह माह की समय सीमा विहित है, परंतु संयुक्त आयुक्त, अपील तथा वाणिज्य-कर आयुक्त द्वारा अपील मामले के निष्पादन हेतु अधिनियम में कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी।

अनुशंसा- 6: राजस्व एवं असंतुष्ट व्यवसायियों के हित में सरकार/विभाग को अपीलीय न्यायालय तथा आयुक्त के न्यायालय में मामलों के निष्पादन हेतु समय सीमा निर्धारित करने पर विचार करना चाहिए।

4.4.21.3 विवादित राशि का एक अंश जमा करने हेतु प्रावधान की कमी

हमने पाया कि वैसे व्यवसायियों द्वारा विवादित राशि के किसी अंश को जमा करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है, जो कर, अर्थदण्ड तथा ब्याज के आरोपण हेतु किसी आदेश को वाणिज्य-कर आयुक्त न्यायालय में धारा 74 के अधीन पुनरीक्षण हेतु चुनाव करते हैं, चुंकि वाणिज्य-कर आयुक्त का न्यायालय व्यवसायियों को एक वैकल्पिक उपाय प्रदान करता है। इसलिए, उस हद तक कर वसूली सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त आयुक्त (अपील) तथा न्यायाधिकरण के मामलों की तरह विवादित राशि के किसी अंश को जमा करने हेतु प्रावधान लाने की आवश्यकता थी।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि 'वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर' लागू होने के बाद आंतरिक न्यायिक प्रणाली के प्रावधान परिवर्तित हो जाएँगे, अतः वर्तमान समय में इस संबंध में संशोधन प्रासंगिक नहीं हो सकता है। जहाँ तक वाणिज्य-कर आयुक्त न्यायालय में लंबित मामलों का प्रश्न है, विभाग द्वारा यह उत्तर दिया गया कि मुख्यालय स्तर पर पर्याप्त संख्या में अपर आयुक्तों की पदस्थापना की गयी है तथा यथाशीघ्र निष्पादन के लिए लंबित मामलों को उनके बीच वितरित कर दिया गया है।

4.4.21.4 वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण

31 मार्च 2016 को वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण में 2,196 मामलों के लंबित रहने के कारण ₹ 2,995.74 करोड़ का बकाया अवरुद्ध रहा।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 73 यह प्रावधित करता है कि किसी आदेश से असंतुष्ट व्यवसायी अथवा कोई व्यक्ति न्यायाधिकरण में अपील करने का चुनाव कर सकता है। न्यायाधिकरण द्वारा अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक व्यवसायी द्वारा विवादित राशि का 20 प्रतिशत न्यायाधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से जमा नहीं किया जाए। पुनः उपरोक्त अधिनियम की धारा 73 की उप धारा (7) यह प्रावधित करता है कि न्यायाधिकरण में दर्ज अपील का यथा संभव शीघ्रता से निपटारा किया जाएगा तथा अपील की प्राप्ति तिथि से छह माह के भीतर अपील के निष्पादन हेतु प्रयास किये जाएंगे।

- विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये न्यायाधिकरण में लंबित मामलों की सूचना का विश्लेषण करने पर हमने पाया कि ₹ 2,995.74 करोड़ से सन्तुष्टि 2,196 मामले 31 मार्च 2016 को न्यायाधिकरण में लंबित थे। इनमें से ₹ 1,359.79 करोड़ के 424 मामले एक साल से अधिक पुराने थे तथा सबसे पुराना मामला वर्ष 1995 से संबंधित था यद्यपि एक वर्ष से अधिक पुराने इन मामलों को छह माह की विहित समय सीमा के भीतर निष्पादन कर देना चाहिए था।
- दानापुर अंचल में हमने जून 2016 में पाया कि 265 नमूना-जाँचित व्यवसायियों में से एक व्यवसायी के विरुद्ध वर्ष 2001–02 से संबंधित ₹ 1.25 करोड़ का बकाया वसूली हेतु लंबित था, परंतु व्यवसायी के कर निर्धारण अभिलेख की जाँच से प्रकट हुआ कि न्यायाधिकरण में यह अगस्त 2010 से लंबित था। आगे हमने पाया कि व्यवसायी का अभिलेख न्यायाधिकरण को मई 2016 में प्रदान किया गया यद्यपि इसकी माँग वर्ष 2010 में की गयी थी तथा कई स्मारपत्र भी दिए गए थे। इस प्रकार, न्यायाधिकरण को मामले का अभिलेख प्रदान करने में करीब छह वर्षों का विलंब हुआ फलस्वरूप ₹ 1.25 करोड़ का बकाया लंबित रहा।

4.4.21.5 उच्चतर न्यायालयों में लंबित बकाया मामलों का निपटारा हेतु त्रुटिपूर्ण तंत्र

वाणिज्य-कर आयुक्त, कार्यालय में हमने जून 2016 में पाया कि विभाग ने उच्चतर न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकार के मामलों के अनुश्रवण के लिए महत्वपूर्ण सूचनाओं से युक्त पंजी विहित/संधारित नहीं किया था।

इसके फलस्वरूप हमने पाया कि 31 मई 2016 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित राजस्व मामलों से संबंधित 14 विशेष अनुमति याचिकाओं (एस. एल. पी.) में से तीन मामलों में विभाग द्वारा प्रति शपथ पत्र दायर नहीं किया गया था यद्यपि ये मामले वर्ष 2012 से 2014 से संबंधित थे। इसी प्रकार सी. डब्ल्यू. जे. सी. मामलों में से भी 72 मामलों में, जिसमें ज्यादातर राजस्व मामले शामिल थे, लेखापरीक्षा की तिथि तक माननीय उच्च न्यायलय में विभाग द्वारा प्रति शपथ पत्र दायर नहीं किया गया था।

इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि विभाग में न्यायालीय मामलों की जाँच करने हेतु एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तथा अनुश्रवण तंत्र की कमी थी।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि विधि कोषांग को निदेश दिये गये थे तथा प्रासंगिक पंजी का संधारण अब किया जा रहा था। विभाग ने पुनः कहा कि न्यायालय के निर्णय की जाँच के लिए एक तीन सदस्यीय समिति बनाई गयी है, जो सुधारात्मक कदम लेने में सहायक होगी।

अनुशंसा— 7 : सरकार/विभाग को राजस्व के बकाये की ससमय वसूली हेतु विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए उन मामलों के उचित अनुश्रवण हेतु दिशा—निर्देश विहित करने पर विचार करना चाहिए।

4.4.22 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक नियंत्रण वह प्रणाली है जो किसी भी प्रणाली के संदर्भ में नियमों, विधि तथा कार्यपालक आदेशों आदि के अनुपालन का प्रर्याप्त आश्वासन प्रदान करता है। आंतरिक नियंत्रण उच्च प्राधिकारियों द्वारा आवधिक बैठकों/समीक्षा तथा आवधिक प्रतिवेदनों एवं रिटर्न के साथ—साथ ही आवश्यक पंजी एवं संचिकाओं के संधारण की अभेद्य प्रणाली के जरिये सुनिश्चित किए जाते हैं।

वाणिज्य—कर आयुक्त के कार्यालय तथा 15 चयनित अंचलों में लेखापरीक्षा के दौरान नियंत्रण तंत्र में निम्न कमियाँ पाई गईः

4.4.22.1 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा संबंध इसके आंतरिक नियंत्रण तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग होता है तथा किसी भी विभाग को यह आश्वस्त करता है कि विहित प्रणालियाँ समुचित ढंग से कार्य कर रही हैं।

वित्त विभाग (लेखापरीक्षा कोषांग) राज्य सरकार के विभागों का आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करता है। उनके द्वारा वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान 15 नमूना—जाँचित अंचलों में लेखापरीक्षा का आयोजन नहीं किया गया था।

4.4.22.2 नियंत्रण पंजीयों का संधारण नहीं किया जाना/अनुचित रूप से किया जाना

वाणिज्य—कर आयुक्त, द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी करने के बाद भी 15 नमूना—जाँचित अंचलों में से 10 अंचलों में माँग, संग्रहण तथा शेष पंजी का संधारण नहीं किया गया था।

- वाणिज्य—कर आयुक्त ने मई 2015 में विहित प्रपत्र में माँग, संग्रहण तथा शेष पंजी का संधारण करने का निदेश जारी किया ताकि किए गए माँग का सृजन, उसका संग्रहण तथा वसूली योग्य बकाये राशि का प्रभावी रूप से अनुश्रवण किया जा सके।

नमूना—जाँचित 15 वाणिज्य—कर अंचलों में हमने लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि वाणिज्य—कर आयुक्त के उपरोक्त निदेश के बाद भी 10 वाणिज्य कर अंचलों¹⁸ में माँग, संग्रहण तथा शेष पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था। शेष पाँच अंचलों में माँग, संग्रहण तथा शेष पंजी का संधारण मई 2015 के बाद से ही किया गया था। मई 2015 से पूर्व माँग, संग्रहण तथा शेष पंजी के अभाव में बकाया की सत्यता, उसका समय पर अनुश्रवण तथा राशि की वसूली हेतु कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

- बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 3(6) के अनुसार व्यवसायी द्वारा पंजीयन हेतु दिए गए आवेदन में दी गई पूर्ण सूचना प्रपत्र वी. आर.—I (पंजीयन हेतु आवेदन की पंजी) में दर्ज होनी चाहिए।

हमने तीन वाणिज्य कर अंचलों¹⁹ में संधारित वी. आर.—I की जाँच के दौरान पाया कि वी. आर.—I में महत्वपूर्ण सूचनाओं, जैसे कि स्थायी पता, स्थायी संपत्ति का विवरण,

¹⁸ भमुआ, भागलपुर, दरभंगा, गया, हाजीपुर, किशनगंज, पटना सिटी पूर्वी, पटना दक्षिणी, समस्तीपुर और सीतामढ़ी।

¹⁹ गया, किशनगंज और समस्तीपुर।

प्रतिभूति का विवरण अभिलिखित नहीं था जिससे कि चूककर्ता व्यवसायियों के मामले में बकाये की वसूली के साधन के रूप में इनका उपयोग किया जा सके।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि सभी अंचलों को ऐसे नियंत्रण पंजी के समुचित संधारण तथा निर्गत निदेश को कठोरता से पालन करने के लिए जुलाई 2016 में निदेश जारी किया गया था। यह भी कहा गया कि मई 2016 से माँग पत्र ऑन-लाईन जारी किया जा रहा था, जिसके फलस्वरूप बैक-एण्ड-डाटा द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन एम.आई.एस. पर उपलब्ध है। पंजियों का उचित संधारण क्यों नहीं हो रहा था तथा मई 2016 से पूर्व के बकाये के आंकड़े कैसे सुनिश्चित किये जा सके जबकि पंजी का संधारण नहीं हो रहा था, इस प्रश्न पर विभाग चुप था।

4.4.22.3 पंजी-9 तथा पंजी-10 का मिलान नहीं किया जाना

लोक माँग एवं वसूली अधिनियम, 1914 के अंतर्गत राजस्व बोर्ड के निर्देश की कंडिका 46 के प्रावधान के अनुसार सभी अधियाची पदाधिकारियों के पंजी-9²⁰ का मिलान प्रत्येक माह पंजी-10²¹ से अवश्य होनी चाहिए, ताकि इन दोनों पंजियों पर उचित नियंत्रण रखा जा सके तथा यह सुनिश्चित हो सके कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत नीलामवाद के लिए आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई की गई तथा इन आवेदनों से संलग्न मुद्रांक से छेड़-छाड़ नहीं की गई।

पन्द्रह अंचलों में हमने पाया कि वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान पंजी-9 तथा 10 का या तो मिलान नहीं किया गया था अथवा कुछ ही बार मिलान किया गया था, यद्यपि इसका मिलान प्रत्येक माह में किया जाना आवश्यक था। इसके फलस्वरूप, जिला नीलामवाद पदाधिकारी के पास इन नीलामवाद मामलों के अधियाचनाओं का उचित अनुपालन नहीं हो रहा था। यह नीलामवाद मामलों के जरिये राजस्व के बकाये की शीघ्र वसूली करने में विभाग के निम्न नियंत्रण तंत्र को दर्शाता है।

4.4.22.4 प्रतिवेदन एवं रिटर्न

वाणिज्य-कर आयुक्त को अंचलों द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन/रिटर्न से संबंधित संचिकाओं की जाँच के दौरान हमने मार्च तथा जून 2016 के बीच पाया कि राजस्व के बकाये की स्थिति शामिल करते हुये एक मासिक राजस्व संग्रहण प्रतिवेदन एवं एक वार्षिक सांख्यिकीय आंकड़े तैयार किये जाते थे तथा विभाग को भेजा जाता था, जिसमें बकाये के आंकड़े समाविष्ट रहते थे। हालाँकि, बकाये की राशि तथा अन्य ब्योरों से युक्त बकाये के पृथक मामले विभाग को नहीं भेजे जा रहे थे ताकि व्यवसायी-वार बकाया मामलों का अनुश्रवण तथा उसकी वसूली विभाग द्वारा किया जा सके। जनवरी 2014 में अपर आयुक्त, बिहार द्वारा इस संबंध में निदेश जारी करने के बावजूद वाणिज्य-कर आयुक्त को इनका ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था।

4.4.22.5 राजस्व के बकायों की उचित वसूली हेतु निर्गत कार्यकारी आदेशों का अपर्याप्त अनुपालन

जून 2016 में वाणिज्य-कर आयुक्त के कार्यालय में अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि राजस्व के बकायों की उचित वसूली के संबंध में विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों/कार्यकारी आदेशों का कई मामलों में उचित अनुपालन नहीं किया गया था, जैसा नीचे वर्णित है:

²⁰ पंजी-9 अधियाचना का एक पंजी है जो अधियाची पदाधिकारी द्वारा संधारित किया जायेगा।

²¹ पंजी-10 नीलामवाद पंजी है जो नीलामवाद पदाधिकारी द्वारा संधारित किया जाएगा।

- वाणिज्य—कर आयुक्त ने मूल्यवर्द्धित कर लेखारीक्षा के फलस्वरूप बकायों की उचित अनुश्रवण के लिए संयुक्त आयुक्त (लेखापरीक्षा) द्वारा सृजित माँगों हेतु एक पृथक पंजी का संधारण करने के लिए सभी अंचल प्रभारियों को निदेश दिया (सितम्बर 2009), परन्तु किसी भी नमूना—जाँचित अंचलों में ऐसे किसी पृथक पंजी का संधारण नहीं पाया गया।
- वाणिज्य—कर आयुक्त ने जनवरी 2014 में राजस्व के बकायों के मामलों के पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण के लिए पाँच अपर आयुक्तों को मनोनीत किया तथा प्रत्येक को 8–10 अंचलों का प्रभार सौंपते हुए इन अंचलों में राजस्व के बकायों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। नमूना—जाँचित 15 अंचलों में लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि उनके द्वारा या तो अंचल में या मुख्यालय स्तर पर कोई पर्यवेक्षण या निरीक्षण नोट जारी/प्रस्तुत नहीं किया गया था, जो विभाग में कमज़ोर नियंत्रण तंत्र का सूचक है।

इस प्रकार विभाग में उचित अनुश्रवण तंत्र के अभाव में, बकायों की वसूली के लिए इसके परिपत्रों/आदेशों का उचित रूप से अनुपालन नहीं किया जा सका।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में कहा कि मई 2016 से सभी अंचलों द्वारा सभी माँग ऑन—लाइन जारी किए जा रहे थे तथा इसके प्रतिवेदन की समीक्षा की जा रही थी तथा बैक—एन्ड—डाटा द्वारा तैयार प्रतिवेदन एम.आई.एस. पर उपलब्ध है। हालाँकि नियंत्रण पंजी को संधारित करने के लिए सभी अंचलों को जुलाई 2016 में निर्देश जारी कर दिये गए थे। उन्होंने पुनः कहा कि वाणिज्य—कर आयुक्त स्तर पर मासिक समीक्षा बैठक भी अनुश्रवण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग था।

अनुशंसा—8: सरकार/विभाग को बकाया मामलों, विशेष कर बड़े मामले तथा उनकी वसूली की सतत निगरानी रखने के लिए वाणिज्य—कर आयुक्त स्तर तक नियंत्रण तंत्र तथा अनुश्रवण प्रणाली को सुदृढ़ करने पर विचार करना चाहिए।

4.4.23 निष्कर्ष

बजट प्राक्कलनों को अंतिम रूप देते समय राजस्व के बकायों पर विचार नहीं किया गया था। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत विभिन्न वसूली प्रक्रियाओं के लिए मानक प्रक्रियाओं का अभाव था, जिससे विभिन्न स्तरों पर वसूली प्रक्रिया में विलम्ब होती थी, फलस्वरूप बकाये के संचयन में बढ़ने की प्रवृत्ति थी तथा बकायों की काफी कम प्रतिशतता नीलामवाद द्वारा आच्छादित थे। बकाये कर का न तो माँग किया गया न उनका भुगतान हुआ। स्वीकृत/निर्धारित करों के भुगतान नहीं होने/विलम्ब से होने पर ब्याज तथा अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया था। राजस्व की बड़ी राशि वर्षों से विभिन्न न्यायालयों में अवरुद्ध पड़ा था, जो विभाग द्वारा उन मामलों का अनुश्रवण नहीं किया जाना इंगित करता था। विभाग का आन्तरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण प्रणाली कमज़ोर था क्योंकि जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा था। महत्वपूर्ण नियंत्रण पंजियाँ या तो विहित नहीं की गई थीं या उनका संधारण उचित तरीके से नहीं हो रहा था।

4.4.24 अनुशंसाओं का सारांश

सरकार को विचार करना चाहिए कि :

- बकायों के भुगतान हेतु कर चूककर्ताओं को स्मार—पत्र जनित करने हेतु स्वचालित प्रणाली लाये तथा एक ऐसी प्रणाली विकसित करे जिससे

बकायों का वसूली/विलम्बन, कर निर्धारण प्राधिकारी के कार्य निष्पादन मूल्यांकन में प्रदर्शित हो।

- व्यवसायियों द्वारा दाखिल रिटर्न के अनुरूप स्वीकृत कर का भुगतान नहीं करने के मामले में अलट जारी करने/अनुवर्ती कार्रवाई हेतु एक प्रणाली स्थापित किया जाए।
- माँग पत्र जारी करने हेतु समय सीमा निर्धारित करने, बैंक खाता जब्ती, नीलामवाद मामले दर्ज करना तथा जमानतदारों पर वसूली की प्रक्रियाओं को समय पर लागू करने से संबंधित मानक प्रक्रियाओं को विहित किया जाए, जैसाकि बैंकों द्वारा अपनाया जाता है।
- बकाये की उचित वसूली के लिए सभी व्यवसायियों हेतु पर्याप्त जमानत राशि प्राप्त करने की अनिवार्य प्रणाली प्रदान करना एवं बकाया की देयता को समायोजित करने हेतु जमानत को जब्त किया जाना विहित किया जाए।
- राजस्व एवं असंतुष्ट व्यवसायियों के हित में अपीलीय न्यायालय तथा आयुक्त के न्यायालय में मामलों के निष्पादन हेतु समय सीमा निर्धारित किया जाए।
- राजस्व के बकाये की ससमय वसूली हेतु विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए उन मामलों के उचित अनुश्रवण हेतु दिशा-निर्देश विहित किया जाए।
- बकाया मामलों, विशेष कर बड़े मामले तथा उनकी वसूली की सतत निगरानी रखने के लिए वाणिज्य-कर आयुक्त स्तर तक नियंत्रण तंत्र तथा अनुश्रवण प्रणाली एवं आंतरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ बनाया जाए।

4.5 अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के खपत, उपयोग एवं बिक्री पर कर (प्रवेश कर) अधिनियम, 1993, बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 तथा उनके अधीन निर्मित नियमों के प्रावधानों के तहत निम्न आरोपण एवं भुगतान आवश्यक है:

- व्यवसायियों द्वारा उचित दरों पर बिक्री, व्यापार आदि पर कर, प्रवेश कर, विद्युत शुल्क इत्यादि;
- बिक्री/क्रय का छिपाव के मामले में छोड़े गये आवर्त्त पर निर्धारित कर के तीन गुणा अर्थदण्ड; तथा
- कर के विलम्ब से भुगतान के लिए प्रत्येक कैलेण्डर माह अथवा उसके किसी भाग के लिये 1.5 प्रतिशत के दर पर ब्याज।

अधिनियमों/नियमावली/निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹ 870.41 करोड़ के कर का नहीं/कम आरोपण, कर का अवनिर्धारण, गलत छूट/कटौती इत्यादि से संबंधित कुछ मामले कंडिका 4.6 से 4.26 में वर्णित हैं, जो कि विभाग में पर्याप्त नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

क : बिक्री, व्यापार आदि पर कर / मूल्यवर्द्धित कर

4.6 बिक्री आवर्त्त का छिपाव

अन्य व्यवसायियों के अभिलेखों से प्राप्त क्रय एवं विक्रय की सूचना एवं व्यवसायियों के अन्य अभिलेखों के साथ रिटर्न में घोषित आवर्त्त के तिर्यक जाँच प्रणाली के अभाव के परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 12.41 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 31 के अंतर्गत यदि निर्धारण प्राधिकारी यह संतुष्ट हो जाता है कि अधिनियम के तहत कर योग्य कोई आवर्त्त का अवनिर्धारण हुआ है/कर निर्धारण से वंचित रह गया है, तब वह चार वर्षों के अंदर भुगतेय कर का निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण करेगा तथा कर एवं ब्याज के अलावे वंचित आवर्त्त पर भुगतेय कर के तीन गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड आरोपित करेगा।

पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) के प्रावधानों के तहत विहित प्राधिकारी, समय के अन्दर तथा विहित तरीके से, धारा 24 की उप धारा (1) एवं (3) के तहत जमा किये गये प्रत्येक रिटर्न की संवीक्षा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से करेगा कि (क) संगणना गणितीय रूप से सही है, (ख) आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, देय कर एवं ब्याज, अगर कोई हो, की संगणना सही एवं उचित रूप से की गई है, (ग) सही दर पर कर लगाया गया है, (घ) कर भुगतान एवं देय ब्याज, यदि कोई हो, से संबंधित विहित साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं (ङ) दावा की गई कटौतियाँ, अधिनियम के तहत अथवा उस समय लागू अन्य कानून के अंतर्गत विहित तरीके से साक्ष्य द्वारा समर्थित है तथा (च) इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं अन्य कटौतियों से संबंधित रिटर्न में किये दावों के समर्थन में ऐसी सूचना एवं साक्ष्य जैसा कि विहित किया जाये ऐसे विहित तरीके से प्रस्तुत किया गया है।

हमलोगों ने पाया कि संवीक्षा के प्रावधान में, रिटर्न में दर्शाये गये आवर्त्त की जाँच व्यवसायी के रिटर्न की संवीक्षा करते समय उसके अन्य अभिलेखों, जैसे कि रोड परमिट की उपयोगिता विवरणी, घोषणा प्रपत्रों तथा साथ साथ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अथवा अन्य व्यवसायियों के अभिलेखों से प्राप्त बिक्री एवं क्रय से संबंधित सूचनाओं से करने का विशेष रूप से प्रावधान नहीं था। यह प्रणाली में कमी को प्रदर्शित करता है।

4.6.1 विक्रय आवर्त्त का छिपाव

तीन वाणिज्य-कर अंचलों²² में हमने जनवरी एवं मार्च 2016 के बीच पाया कि 555 नमूना-जाँचित व्यवसायियों में से तीन स्व-कर निर्धारित व्यवसायियों ने वर्ष 2013-14 की अवधि के दौरान ₹ 102.58 करोड़ की वस्तुओं की बिक्री की, जैसाकि उनके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट²³, विक्रय विवरणी एवं उनके द्वारा दाखिल किये गये त्रैमासिक रिटर्न में दर्शाया गया था। हालाँकि उन्होंने अपने वार्षिक रिटर्न में ₹ 11.22 करोड़ मूल्य की वस्तुओं की बिक्री का छिपाव करते हुए मात्र ₹ 91.36 करोड़ ही लेखापित किया था। चूँकि विभाग ने सूचना के तिर्यक जाँच हेतु निर्देश निर्गत नहीं किया था एवं तिर्यक जाँच प्रणाली के अभाव में कर-निर्धारण प्राधिकारी आवर्त्त के छिपाव का पता नहीं कर पाये। इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.56 लाख के ब्याज एवं ₹ 2.16 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 3.12 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ, जैसाकि परिशिष्ट-XV में वर्णित है।

²² भभुआ, पटना सिटी पूर्वी एवं पटना विशेष।

²³ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट- प्रत्येक व्यवसायी जिनका सकल आवर्त ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक है, उन्हें नियत तिथि तक चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

इसे इंगित किये जाने के बाद वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ने (अक्टूबर 2016) कहा कि पटना विशेष अंचल के मामले में ₹ 33.42 लाख के मँग के लिये सूचना निर्गत किया गया एवं कर-निर्धारण प्राधिकारी, भमुआ अंचल ने (सितम्बर 2016) कहा कि एक मामला में ₹ 1.27 करोड़ के मँग के लिये सूचना निर्गत किया गया। हम पटना सिटी पूर्वी अंचल के मामले में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामला सरकार/विभाग को मई 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

4.6.2 क्रय आवर्त्त का छिपाव

सात वाणिज्य कर अंचलों²⁴ में हमने सितम्बर 2013 एवं मार्च 2016 के बीच पाया कि 1,075 नमूना-जाँचित व्यवसायियों में से नौ स्व-कर निर्धारित व्यवसायियों ने वर्ष 2010–11 से 2013–14 के अवधि में ₹ 36.33 करोड़ के वस्तुओं का क्रय किया था, जैसाकि उनके द्वारा प्रस्तुत टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, सुविधा विवरणी एवं त्रैमासिक/वार्षिक रिटर्न में दर्शाया गया था। हालाँकि उन्होंने अपने वार्षिक रिटर्न में ₹ 12.96 करोड़ मूल्य के वस्तुओं के क्रय का छिपाव करते हुए ₹ 23.37 करोड़ के क्रय को ही लेखापित किया। चूंकि विभाग ने सूचना के तिर्यक जाँच हेतु कोई निर्देश निर्गत नहीं किया था एवं तिर्यक जाँच प्रणाली के अभाव में कर-निर्धारण प्राधिकारी आवर्त्त के छिपाव का पता नहीं कर पाये। इसके परिणामस्वरूप ₹ 26.99 लाख के ब्याज एवं ₹ 2.41 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 3.48 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ जैसा कि परिशिष्ट-XVI में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद कर-निर्धारण प्राधिकारी, जमुई ने नवम्बर 2014 एवं जनवरी 2015 के बीच एक व्यवसायी के मामले को स्वीकार किया एवं ₹ 94.26 लाख का मँग सृजित किया। कर-निर्धारण प्राधिकारी पटना पश्चिमी ने दिसम्बर 2015 में कहा कि सूचना निर्गत किये जायेंगे जबकि शेष कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने जनवरी एवं मार्च 2016 के बीच कहा कि मामलों की जाँच की जायेगी। हम स्वीकृत मामले में वसूली शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामला सरकार/विभाग को फरवरी एवं जून 2016 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

4.6.3 क्रय एवं विक्रय आँकड़े की तिर्यक जाँच के दौरान पता लगे बिक्री आवर्त्त का छिपाव

हमने नवम्बर 2014 एवं फरवरी 2016 के बीच आठ वाणिज्य कर अंचलों²⁵ में पाया कि नमूना जाँचित 1270 व्यवसायियों में से 11 स्व-कर निर्धारित व्यवसायियों ने वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान ₹ 52.45 करोड़ के वास्तविक बिक्री के बदले ₹ 36.52 करोड़ की बिक्री ही लेखापित किये थे तथा इस प्रकार ₹ 15.93 करोड़ के बिक्री आवर्त्त का छिपाव किया था। इसका पता व्यवसायियों द्वारा अपने रिटर्न/टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाये गये बिक्री की सूचना के साथ क्रेता व्यवसायी के रिटर्न/टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाये गये क्रय की सूचनाओं के तिर्यक जाँच से लगा। इस प्रकार की तिर्यक जाँच की प्रणाली के अभाव के कारण कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सका जिसके फलस्वरूप ₹ 5.81 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ, जैसा कि परिशिष्ट-XVII में वर्णित है।

²⁴ भमुआ, गोपालगंज, जमुई, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना पश्चिमी, सासाराम एवं सीवान।

²⁵ दानापुर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पटना सिटी पूर्वी, पटना पश्चिमी, समस्तीपुर, सारण एवं सासाराम।

मामले सरकार/विभाग को अप्रैल 2015 एवं जून 2016 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

4.7 कर का गलत दर लगाए जाने के फलस्वरूप कर का कम आरोपण

संवीक्षा नहीं अथवा त्रुटिपूर्ण संवीक्षा/कर-निर्धारण किये जाने के कारण कर का गलत दर लगाये जाने का पता कर-निर्धारण प्राधिकारियों को नहीं चला जिसके फलस्वरूप ब्याज सहित ₹ 4.21 करोड़ कर का कम आरोपण हुआ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) के प्रावधानों के तहत विहित प्राधिकारी करों का दर सही रूप से लगाये जाने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से धारा 24 के उप धारा (1) एवं (3) के अन्तर्गत दाखिल प्रत्येक रिटर्न की समय सीमा के अन्दर तथा विहित तरीकों से संवीक्षा करेगा।

पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 39 (4) के प्रावधान के अन्तर्गत भुगतेय कर पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज भी आरोप्य है।

हमने छ: वाणिज्य-कर अंचलों²⁶ में जून 2013 एवं जनवरी 2016 के बीच पाया कि 880 नमूना-जाँचित व्यवसायियों में से, आठ व्यवसायियों (कर-निर्धारित: 2 संवीक्षित: 1 तथा स्व-कर निर्धारित: 5) ने वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान ₹ 38.79 करोड़ मूल्य के विभिन्न वस्तुओं की बिक्री पर 4 से 13.5 प्रतिशत की सही दर के बदले शून्य से पाँच प्रतिशत की कम दर पर कर का निर्धारण किया। संवीक्षा करने में विफलता/त्रुटिपूर्ण संवीक्षा/कर-निर्धारण किये जाने के कारण कर का गलत दर लगाये जाने का पता कर-निर्धारण प्राधिकारी को नहीं चला, जिसके फलस्वरूप ₹ 1.09 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 4.21 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ, जैसा कि परिशिष्ट-XVIII में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद कर-निर्धारण प्राधिकारियों/वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ने जुलाई 2015 में दो अंचलों²⁷ के दो व्यवसायियों के मामलों को स्वीकार किया तथा ₹ 1.04 करोड़ तथा अद्यतन ब्याज हेतु माँग सृजित किया। शेष कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने दिसम्बर 2014 एवं जनवरी 2016 के बीच कहा कि मामले की जाँच की जाएगी। हम स्वीकृत मामले में वसूली तथा शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार/विभाग को अक्टूबर 2014 एवं जून 2016 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

4.8 इनपुट टैक्स क्रेडिट

व्यवसायियों के रिटर्न की संवीक्षा नहीं किये जाने एवं व्यवसायियों के खरीद एवं बिक्री आँकड़ों के तिर्यक जाँच के प्रणाली के अभाव के फलस्वरूप अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 4.89 करोड़ का अधिक/गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 16 में प्रावधान है कि जब एक निबंधित व्यवसायी बिहार राज्य के अन्दर किसी अन्य निबंधित व्यवसायी से अधिनियम की धारा 14 अथवा धारा 4 के तहत कर का भुगतान करने के पश्चात् कोई इनपुट का क्रय करता है, तब वह विहित तरीके से इनपुट कर के क्रेडिट का दावा करने के योग्य है, यदि मालों की बिक्री राज्य के अन्दर अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में

²⁶ दानापुर, कदमकुआँ, कटिहार, पटना मध्य, पटना विशेष एवं समस्तीपुर।

²⁷ दानापुर एवं समस्तीपुर।

की गई हो अथवा राज्य के अन्दर अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में बिक्री के लिए वस्तुओं (अनुसूची-IV के वस्तुओं के अलावे) के विनिर्माण में खपत की गई हो। पुनः अधिनियम की धारा 31 में इनपुट टैक्स क्रेडिट के अधिक/गलत दावों के लिए ब्याज की राशि के अलावे भुगतेय कर के तीन गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड लगाए जाने का भी प्रावधान है।

पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) (एफ) के प्रावधानों के तहत विहित प्राधिकारी रिटर्न में दावा किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं अन्य कटौतियों से संबंधित दावे के सर्वथन में सूचनाएँ एवं साक्ष्य, जैसा कि विहित किया जाए, ऐसे विहित तरीके से प्रस्तुत किये गये हैं, को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से धारा 24 के उप धारा (1) एवं (3) के अन्तर्गत दाखिल प्रत्येक रिटर्न की समय सीमा के अन्दर तथा विहित तरीके से संवीक्षा करेंगे।

4.8.1 इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित/अधिक दावा

हमने आठ वाणिज्य-कर अंचलों²⁸ में अक्टूबर 2013 एवं जनवरी 2016 के बीच 1,148 नमूना-जाँचित व्यवसायियों में से नौ व्यवसायियों (कर-निर्धारित: 1 एवं स्व-कर निर्धारित: 8) के वार्षिक रिटर्न, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इत्यादि से पाया कि उन्होंने वर्ष 2011–12 एवं 2013–14 की अवधि के दौरान अपने वार्षिक रिटर्न में ₹ 149.66 करोड़ मूल्य के वस्तुओं के क्रय पर ₹ 8.71 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया था। हालाँकि उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुसार व्यवसायी इन खरीदों पर मात्र ₹ 8.28 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के ही हकदार थे। इस प्रकार व्यवसायियों ने कम्पाउंडिंग/अनिबंधित व्यवसायियों से मालों की खरीद, आटे की खरीद, अनुसूची-IV के वस्तुओं के विनिर्माण हेतु मालों की खरीद, कंज्यूमेबल्स (उपभोज्य) एवं स्कीम के तहत प्राप्त वस्तुओं, जो उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे हेतु मान्य नहीं थे, पर ₹ 42.76 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ लिया। इस अधिक दावे हेतु ₹ 1.22 करोड़ का अर्थदण्ड तथा उसपर ₹ 12.38 लाख का ब्याज संगणित की गई। व्यवसायियों के रिटर्न की संवीक्षा नहीं करने के कारण कर-निर्धारण प्राधिकारी इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ लिये जाने का पता नहीं लगा सके। यह दर्शाता है बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) के तहत संवीक्षा के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया था। कुल राजस्व प्रभाव ₹ 1.77 करोड़ का था, जैसाकि **परिशिष्ट-XIX** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद संबंधित वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ने जून 2014 में कहा कि कदमकुआँ अंचल के एक व्यवसायी से संबंधित ₹ 4.05 लाख की मौँग सृजित की गयी है, जबकि शेष कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने अक्टूबर 2014 एवं फरवरी 2016 के बीच कहा कि मामले की जाँच की जाएगी। हम स्वीकृत मामले में वसूली तथा शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार/विभाग को मार्च 2014 एवं जून 2016 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

²⁸

बिहारशरीफ, दानापुर, कदमकुआँ, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पटना मध्य, पटना विशेष, सासाराम एवं समस्तीपुर।

4.8.2 क्रय एवं विक्रय आँकड़ों के तिर्यक जाँच के दौरान पाये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा

दस वाणिज्य-कर अंचलों²⁹ में अक्टूबर 2014 एवं मार्च 2016 के बीच 1,742 नमूना-जाँचित में से 12 स्व-कर निर्धारित व्यवसायियों द्वारा दर्शाए गए क्रय की सूचनाओं का विक्रेता व्यवसायियों के रिटर्न/टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में प्रदर्शित बिक्री सूचनाओं के साथ तिर्यक जाँच से हमने पाया की इन व्यवसायियों ने वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान ₹ 11.75 करोड़ के मालों का अधिक क्रय दर्शाया था एवं उस पर ₹ 72.58 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ लिया था, जबकि विक्रेता व्यवसायियों ने या तो रिटर्न/टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल नहीं किया था अथवा उन्होंने ऐसी बिक्री नहीं दर्शायी थी। ऐसी तिर्यक जाँच की प्रणाली के अभाव के कारण अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट लिये जाने का पता कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा नहीं लगाया जा सका जिसके फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 3.12 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ, जैसाकि परिशिष्ट-XX में वर्णित है।

मामले सरकार/विभाग को फरवरी 2015 एवं जून 2016 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

4.9 प्रवेश कर का गलत समायोजन

मूल्यवर्द्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर के भुगतान के विरुद्ध प्रवेश कर के समायोजन का लाभ लिये जाने का पता कर-निर्धारण प्राधिकारियों को नहीं चला जिसके फलस्वरूप ₹ 1.99 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 8.39 करोड़ के प्रवेश कर का गलत समायोजन हुआ।

बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993 की धारा 3 (2) के साथ पठित बिहार प्रवेश कर नियमावली, 1993 के नियम 4 (ए) के तहत कोई व्यवसायी जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के अंतर्गत कर का भुगतान करने हेतु दायी है, उसकी यदि आयातित अधिसूचित मालों की बिक्री अथवा ऐसे आयातित अधिसूचित मालों से विनिर्मित वस्तुओं की बिक्री के कारण बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दर पर कर का भुगतान की देयता बनती है तब बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत उसका कर दायित्व प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान किये गये कर की सीमा तक कम कर दिया जायेगा।

परंतु विनिर्माता के मामले में सिर्फ लघु, मध्यम एवं रूग्ण औद्योगिक इकाईयों को ही कर दायित्व में उपरोक्त कमी किये जाने की स्वीकृति दी जायेगी।

4.9.1 मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान के प्रति प्रवेश कर का गलत समायोजन

पाँच वाणिज्य-कर अंचलों³⁰ में दिसम्बर 2014 एवं फरवरी 2016 के बीच हमने पाया कि 1,114 नमूना-जाँचित व्यवसायियों में से आठ स्व-कर निर्धारित व्यवसायियों ने वर्ष 2011–12 एवं 2013–14 के बीच की अवधि के दौरान ₹ 404.83 करोड़ के प्रवेश कर का समायोजन अपने मूल्यवर्द्धित कर के दायित्व से किया था। हालाँकि व्यवसायी मात्र ₹ 399.01 करोड़ के प्रवेश कर के समायोजन हेतु ही हकदार थे, क्योंकि प्रवेश कर के समायोजन का लाभ लिये जाने के लिए विहित मानदण्ड³¹ को पूरा नहीं करते थे।

²⁹ भभुआ, दानापुर, पटना गाँधी मैदान, खगड़िया, मोतिहारी, पटना मध्य, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी, पाटलिपुत्र एवं शाहाबाद (आरा)।

³⁰ कदमकुआँ, पाटलिपुत्र, पटना सिटी पूर्वी, पटना विशेष एवं पटना पश्चिमी।

³¹ (i) आयातित वस्तुओं की पुनः बिक्री नहीं की गयी थी। (ii) मूल्यवर्द्धित कर का दर प्रवेश कर के दर से कम था।

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सका, जिसके फलस्वरूप मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान के प्रति ₹ 5.82 करोड़ के प्रवेश कर का गलत समायोजन हुआ। इस प्रकार, ये व्यवसायी ₹ 1.81 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 7.62 करोड़ के मूल्यवर्द्धित कर का भुगतान करने हेतु दायी थे, जैसाकि **परिशिष्ट-XXI** में वर्णित है।

मामले सरकार/विभाग को सितम्बर 2015 एवं जून 2016 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

4.9.2 केन्द्रीय बिक्री कर के भुगतान के प्रति प्रवेश कर का गलत समायोजन

तीन वाणिज्य-कर अंचलों³² में मार्च एवं दिसम्बर 2015 के बीच हमने पाया कि 579 नमूना-जाँचित व्यवसायियों में से तीन स्व-कर निर्धारित व्यवसायियों ने वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 की अवधि के दौरान उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना में ₹ 59.13 लाख के प्रवेश कर का समायोजन अपने केन्द्रीय बिक्री कर के दायित्व से किया था। कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सका, जिसके फलस्वरूप केन्द्रीय बिक्री कर के भुगतान के प्रति ₹ 59.13 लाख के प्रवेश कर का गलत समायोजन हुआ। इस प्रकार, ये व्यवसायी ₹ 17.92 लाख के ब्याज सहित ₹ 77.05 लाख के केन्द्रीय बिक्री कर का भुगतान करने हेतु दायी थे, जैसाकि **परिशिष्ट-XXII** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद कर-निर्धारण प्राधिकारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी ने मार्च 2015 में कहा कि बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993 की धारा 3 के प्रावधान के अनुसार प्रवेश कर के भुगतान से मूल्यवर्द्धित कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर दोनों ही समायोजन हेतु उपलब्ध हैं। उत्तर इस तथ्य के अनुरूप नहीं है कि उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रवेश कर के भुगतान से केवल मूल्यवर्द्धित कर दायित्व ही समायोजन के लिए उपलब्ध है तथा उसमे केन्द्रीय बिक्री कर दायित्व के समायोजन का कोई वर्णन नहीं है। कर-निर्धारण प्राधिकारी, पटना पश्चिमी ने दिसम्बर 2015 में कहा कि सूचना निर्गत कर दिया जाएगा, जबकि कर-निर्धारण प्राधिकारी, पटना मध्य ने दिसम्बर 2015 में कहा कि मामले की जाँच की जाएगी। हम मामलों में आगे की उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार/विभाग को सितम्बर 2015 एवं जून 2016 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

4.10 रिवर्स क्रेडिट की संगणना कम किया जाना

रिवर्स क्रेडिट की संगणना कम किए जाने के परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 1.79 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति दी गयी।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 15 एवं 16 के तहत एक विनिर्माता व्यवसायी रिवर्स क्रेडिट करेगा जब वह वस्तुओं का अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण करेगा या अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट वस्तु के अलावे इनपुट से अनुसूची-I के वस्तु का विनिर्माण करेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि, जिसके लिए व्यवसायी हकदार है, की संगणना खरीदों पर भुगतान किये गए इनपुट टैक्स की राशि में से रिवर्स क्रेडिट की राशि को घटाने के बाद की जायेगी। पुनः मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत किसी इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक/गलत दावा पर ब्याज के अलावे दावा किये गये अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट के समतुल्य राशि का तीन गुणा अर्थदण्ड लगाए जाने का भी प्रावधान है।

³²

मुजफ्फरपुर पूर्वी, पटना मध्य एवं पटना पश्चिमी।

तीन वाणिज्य—कर अंचलों³³ में सितम्बर 2015 एवं जनवरी 2016 के बीच हमने पाया कि 514 नमूना—जाँचित व्यवसायियों में से तीन स्व—कर निर्धारित व्यवसायियों ने वर्ष 2012–13 से 2013–14 की अवधि में कर योग्य विनिर्मित वस्तुओं का अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण किया था। इन वस्तुओं के इनपुट का क्रय राज्य के अन्दर कर का भुगतान करने के पश्चात् किया गया था, जिसके लिए व्यवसायी द्वारा ₹ 1.90 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया था। यद्यपि व्यवसायी को रिवर्स क्रेडिट की गणना कर उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट की कुल राशि से घटाना चाहिए था, व्यवसायियों द्वारा ₹ 41.41 लाख के रिवर्स क्रेडिट की गणना या तो नहीं की गई थी अथवा कम संगणित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.24 करोड़ के आरोप्य अर्थदण्ड एवं ₹ 13.06 लाख के ब्याज सहित ₹ 1.79 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति दी गई, जैसाकि परिशिष्ट—XXIII में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद संबंधित वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ने मई 2016 में कहा कि शाहाबाद अंचल के एक व्यवसायी के मामले में ₹ 2.45 लाख का माँग सृजित किया गया एवं राशि की वसूली कर ली गयी है, जबकि शेष कर—निर्धारण प्राधिकारियों ने दिसम्बर 2015 एवं जनवरी 2016 के बीच में कहा कि मामलों की जाँच की जाएगी।

मामले सरकार/विभाग को अप्रैल एवं जून 2016 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

4.11 कटौतियों की गलत अनुमति/अधिक लाभ लिया जाना

कार्य संवेदकों द्वारा अमान्य कटौतियों की गलत दावों/स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 2.84 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 35 तथा बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 18 के तहत एक कार्य संवेदक, मजदूरी एवं किसी अन्य प्रकार के प्रभार, जैसे कि मजदूरी एवं सेवाओं के मद में उप संवेदक को किए गए भुगतान की राशि, योजना, रूपांकन एवं वास्तुकार फीस हेतु प्रभार, किराये पर प्राप्त किए गए मशीन एवं औजार के उपयोग हेतु प्रभार, उपभोज्य वस्तुओं की लागत, मजदूरी एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित स्थापना की लागत, मजदूरी एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित अन्य इसी प्रकार के खर्च, संवेदक द्वारा मजदूरी की आपूर्ति एवं सेवाओं पर अर्जित लाभ तथा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 6 अथवा धारा 7 के तहत छूट प्राप्त मालों अथवा लेन—देनों पर, कटौती लिए जाने हेतु योग्य है।

पाँच वाणिज्य—कर अंचलों³⁴ में अगस्त 2013 एवं जनवरी 2016 के बीच हमने 772 नमूना—जाँचित व्यवसायियों में से छ: कार्य संवेदकों (कर निर्धारित: 1 तथा स्व—कर निर्धारित: 5) के रिटर्न/लाभ एवं हानि खाते से पाया कि वर्ष 2009–10 एवं 2013–14 के बीच की अवधि के दौरान उन्होंने ₹ 288.62 करोड़ की कटौती का लाभ लिया था, जबकि वे मजदूरी एवं सेवाओं, मजदूरी एवं सेवाओं से संबंधित स्थापना की लागत, ओवरहेड, विभागीय कटौतियाँ एवं सकल लाभ पर कटौतियों हेतु मात्र ₹ 243.91 करोड़ के ही हकदार थे। हालाँकि कर—निर्धारण प्राधिकारी निर्धारित मामले में भी अमान्य कटौतियों के दावों का पता नहीं लगा सके। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.84 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ जिसकी संगणना ₹ 288.62 करोड़ की कटौती के उपरोक्त दावे की सामग्री एवं मजदूरी तथा सेवाओं के बीच समानुपातिक रूप से संगणित ₹ 44.71 करोड़ के सामग्री अवयव पर की गई थी, जैसा कि परिशिष्ट—XXIV में वर्णित है।

³³ पटना मध्य, पटना विशेष एवं शाहाबाद (आरा)।

³⁴ बिहारशरीफ, कटिहार, पटना मध्य, पटना विशेष एवं सासाराम।

इसे इंगित किये जाने के बाद कर-निर्धारण प्राधिकारी, सासाराम ने सितम्बर 2014 में एक व्यवसायी के मामले में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए ₹ 47.35 लाख का माँग सृजित किया। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार/विभाग को फरवरी 2015 और जून 2016 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

4.12 कर के भुगतान का अनियमित साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के कारण कर का कम आरोपण

किसी अन्य व्यवसायी के पक्ष में निर्गत 'सी-II' प्रपत्र पर कर दायित्व के समायोजन का अनियमित दावे के फलस्वरूप ₹ 1.20 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) के प्रावधानों के तहत विहित प्राधिकारी, समय सीमा के अन्दर तथा विहित तरीकों से प्रत्येक रिटर्न की संवीक्षा अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि कर के भुगतान एवं ब्याज, अगर कोई हो, से संबंधित साक्ष्य, जैसा कि विहित है, प्रस्तुत की गई है। पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली का नियम 29 (4) प्रावधित करता है की कार्य संवेदक, जिनके विपत्र से कटौतियाँ की गई हैं, वे उपरोक्त अधिनियम की धारा 24 के तहत दाखिल रिटर्न के साथ स्रोत पर कटौती द्वारा कर के भुगतान के साक्ष्य के रूप में प्रपत्र 'सी-II'³⁵ की 'मूल प्रति' कर-निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

सासाराम वाणिज्य-कर अंचल में अगस्त 2013 में हमने पाया कि 153 नमूना-जाँचित व्यवसायियों में से एक व्यवसायी (मे0 विजेता प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, टिन -10241669050) ने वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में अग्रिम कटौतियों के रूप में क्रमशः ₹ 1.37 करोड़ एवं ₹ 90.69 लाख के कर का भुगतान का दावा किया था। व्यवसायी ने विभिन्न कर कटौती प्राधिकारियों द्वारा की गई कर के भुगतान की कटौती के साक्ष्य के रूप में प्रपत्र 'सी-II' प्रस्तुत किया। प्रपत्र 'सी-II' की संवीक्षा से हमने पाया कि 2009-10 एवं 2010-11 के लिए क्रमशः ₹ 96.82 लाख के चार प्रपत्र 'सी-II' एवं ₹ 23.02 लाख के दो प्रपत्र 'सी-II' उस व्यवसायी के पक्ष में निर्गत नहीं थे, बल्कि ये उसी अंचल में निबंधित दूसरे व्यवसायी (मे0 एन0सी0सी0-भी0सी0एल, जे0वी0; टिन-10244981018) के पक्ष में निर्गत थे। अतः व्यवसायी इस कटौती के दावे के हकदार नहीं थे क्योंकि राशि सरकारी कोषागार में उनके पक्ष में जमा नहीं किया था। इस प्रकार व्यवसायी ने दूसरे व्यवसायी के पक्ष में निर्गत इन 'सी-II' प्रपत्रों के आधार पर ₹ 1.20 करोड़ (₹ 96.82 लाख + ₹ 23.02 लाख) के कर दायित्व के समायोजन का अनियमित दावा किया, तथा वह ब्याज के अलावे ₹ 1.20 करोड़ के कर का भुगतान हेतु दायी था।

इसे इंगित किये जाने के बाद कर-निर्धारण प्राधिकारी, सासाराम ने सितम्बर 2014 में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए ₹ 1.20 करोड़ का माँग सृजित किया।

मामला सरकार/विभाग को मार्च 2016 के बीच प्रतिवेदित किया गया था। हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

³⁵

कार्य संवेदकों से कर की कटौती का प्रमाण-पत्र।

4.13 भंडार अंतरण पर कटौती की अनियमित अनुमति

गलत घोषणा प्रपत्रों के आधार पर भंडार अंतरण हेतु कर—निर्धारण प्राधिकारी द्वारा छूट की अनुमति दिये जाने के फलस्वरूप ब्याज सहित ₹ 94.25 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 6 ए के प्रावधान के अनुसार जब कोई व्यवसायी यह दावा करता है कि उसके द्वारा मालों का स्थानांतरण अन्य स्थान पर उसके किसी व्यवसाय अथवा उसके एजेंट अथवा प्रधान, जैसा भी मामला हो, के कारण मालों का पारगमन एक राज्य से दूसरे राज्य में किया गया है, तथा उसकी बिक्री नहीं की गई है, तब वे कर—निर्धारण प्राधिकारी को विहित समय—सीमा के भीतर अन्य स्थान के व्यवसाय के प्रधान अधिकारी द्वारा भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित एक घोषणा के साथ—साथ मालों के प्रेषण का साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। केन्द्रीय बिक्री कर नियमावली, 1957 प्रावधित करता है कि धारा 6 ए के उपधारा (1) में संदर्भित घोषणा प्रपत्र 'एफ' में होगा।

पटना दक्षिणी वाणिज्य कर अंचल में हमने जनवरी 2015 में पाया कि 259 नमूना—जाँचित व्यवसायियों में से एक व्यवसायी (मे0 तिरुपति ईन्टरप्राइजेज, टिन—10120975151) ने वर्ष 2010—11 एवं 2011—12 के दौरान ₹ 1.55 करोड़ एवं ₹ 3.06 करोड़ के मालों का अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण के मद में कटौती का लाभ लिया था, जिसके विरुद्ध दावे के समर्थन में प्रपत्र 'एफ' में क्रमशः आठ एवं 11 घोषणा अभिलेख पर पाया गया। हालाँकि यह पाया गया कि व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किये गये ये सभी घोषणा प्रपत्र बिहार राज्य से ही संबंधित थे, जबकि घोषणा प्रपत्रों पर अन्य विवरण झारखंड राज्य से संबंधित थे। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम/नियमावली के प्रावधान के अनुसार ये प्रपत्र अन्तरिती राज्य द्वारा निर्गत किया जाना चाहिए था तथा इस प्रकार इन प्रपत्रों के आधार पर छूट का लाभ लिया जाना गलत था एवं इसे अस्वीकृत किया जाना चाहिए था। इस प्रकार व्यवसायी ₹ 33.55 लाख के ब्याज सहित ₹ 94.25 लाख के कर का भुगतान हेतु दायी है।

मामला सरकार/विभाग को फरवरी 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

4.14 स्वीकृत कर का कम भुगतान

कर—निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा व्यवसायियों के रिटर्न की संवीक्षा नहीं किये जाने के कारण ब्याज सहित ₹ 4.87 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यवसायी प्रत्येक माह से संबंधित भुगतेय कर का भुगतान आगामी माह के पन्द्रहवें दिन या उसके पहले करेगा, जिसमें विफल रहने पर व्यवसायी भुगतेय होने की तिथि से इसके भुगतान की नियत तिथि तक देय राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह के दर पर ब्याज का भुगतान करने हेतु दायी होगा।

पुनः उपरोक्त अधिनियम की धारा 25(1) के प्रावधानों के तहत विहित प्राधिकारी, समय सीमा के अन्दर (रिटर्न से संबंधित वर्ष के अगले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक) तथा विहित तरीके से भुगतेय कर एवं देय ब्याज के भुगतान से संबंधित उपलब्ध कराये गए साक्ष्य जैसा विहित है, को सुनिश्चित करने हेतु धारा 24 के उपधारा (1) एवं (3) के तहत दाखिल किये गये प्रत्येक रिटर्न की संवीक्षा करेंगे।

चौदह वाणिज्य कर अंचलों³⁶ में नवम्बर 2014 एवं फरवरी 2016 के बीच हमने पाया कि 2,212 नमूना-जाँचित व्यवसायियों में से 26 स्व-कर निर्धारित व्यवसायियों ने वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान ₹ 23.34 करोड़ के स्वीकृत कर के विरुद्ध ₹ 19.61 करोड़ का भुगतान किया। इस प्रकार ₹ 3.73 करोड़ के स्वीकृत कर का कम भुगतान हुआ। यद्यपि कर-निर्धारण प्राधिकारियों को रिटर्न की संवीक्षा करनी थी एवं कर के भुगतान के साक्ष्य को देखना था तथा तदनुसार व्यवसायी को सूचना जारी करना था, परन्तु लेखापरीक्षा की तिथि तक कोई संवीक्षा किया जाना नहीं पाया गया, जो कि विभाग के नियंत्रण में कमजोरी को दर्शाता है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.14 करोड़ के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 4.87 करोड़ के स्वीकृत कर का कम भुगतान हुआ, जैसा कि परिशिष्ट-XXV में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद कर-निर्धारण प्राधिकारी, शाहाबाद ने जून 2016 में एक व्यवसायी के मामले को स्वीकार करते हुए ₹ 2.58 लाख का माँग सृजित किया एवं ₹ 1.84 लाख की वसूली की। शेष संबंधित कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने दिसम्बर 2014 एवं फरवरी 2016 के बीच कहा कि मामले की जाँच की जाएगी।

मामला सरकार/विभाग को सितम्बर 2015 एवं जून 2016 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनका उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

4.15 विलम्ब से कर के भुगतान हेतु ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर के विलम्ब से भुगतान हेतु ₹ 57.94 लाख के ब्याज का आरोपण नहीं किया।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यवसायी प्रत्येक माह से संबंधित भुगताये कर का भुगतान आगामी माह के पन्द्रहवें दिन या उसके पहले करेगा, जिसमें विफल रहने पर व्यवसायी भुगताये होने की तिथि से इसके भुगतान की नियत तिथि तक देय राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करने हेतु दायी होगा। पुनः केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9(2) के साथ पठित उपरोक्त अधिनियम की धारा 39(4) यह प्रावधित करता है कि अगर विहित प्राधिकारी को यह पता चलता है कि कोई व्यवसायी किसी भी कार्यवाही के तहत स्वीकृत कर राशि के अतिरिक्त कर भुगतान हेतु दायी है तब भुगताये होने कि तिथि से पूर्व में स्वीकृत राशि तथा अंतिम रूप से निर्धारित कर की अन्तर की राशि पर प्रत्येक माह या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगा।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 25(1) के प्रावधानों के तहत विहित प्राधिकारी, समय सीमा के अन्दर (रिटर्न से संबंधित वर्ष के अगले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक) तथा विहित तरीके से भुगताये कर एवं देय ब्याज के भुगतान से संबंधित उपलब्ध कराये गए साक्ष्य जैसा विहित है, को सुनिश्चित करने हेतु धारा 24 के उपधारा (1) एवं (3) के तहत दाखिल किये गये प्रत्येक रिटर्न की संवीक्षा करेंगे।

पाँच वाणिज्य-कर अंचलों³⁷ में अक्टूबर 2014 एवं दिसम्बर 2015 के बीच हमने पाया कि 923 नमूना-जाँचित व्यवसायियों में से आठ व्यवसायियों (संवीक्षित: 1 एवं स्व-कर निर्धारित: 7) ने वर्ष 2011–12 एवं 2013–14 के बीच की अवधि के दौरान स्वीकृत कर का भुगतान तीन से 578 दिनों के विलम्ब से किया था। यहाँ तक कि संवीक्षित मामलों में भी कर-निर्धारण प्राधिकारी ने विलम्बित भुगतान हेतु ब्याज का आरोपण नहीं किया। इस प्रकार ₹ 57.94 लाख के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ, जैसा कि परिशिष्ट-XXVI में वर्णित है।

³⁶ औरंगाबाद, बिहारशरीफ, कदमकुआँ, कटिहार, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना उत्तरी, पटना पश्चिमी, सासाराम, शाहाबाद एवं सिवान।

³⁷ कदमकुआँ, मोतिहारी, पाटलिपुत्र, पटना उत्तरी एवं शाहाबाद।

मामला सरकार/विभाग को फरवरी 2015 एवं फरवरी 2016 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनका उत्तर अभी तक अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

4.16 क्रय कर का आरोपण नहीं किया जाना

कर–निर्धारण प्राधिकारियों ने दो अंचलों में तीन व्यवसायियों के मामले में ब्याज सहित ₹ 86.26 लाख के क्रय कर का आरोपण नहीं किया।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यवसायी जो वैसे परिस्थितियों में मालों का क्रय करता है जिस पर कोई बिक्री कर भुगतेय नहीं है या ऐसे वस्तुओं के बिक्री मूल्य पर कर नहीं दिया गया है तथा बिक्री के लिए अन्य सामग्रियों के विनिर्माण में खपत करता है या अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान बिक्री अथवा राज्य में बिक्री के अलावे अन्य तरीकों से उस माल का निपटारा करता है तो उस माल के क्रय मूल्य पर उस दर से कर देना होगा जिस दर पर उन मालों के विक्रय मूल्य पर उपरोक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत कर आरोप्य है।

दो वाणिज्य–कर अंचलों (मुजफ्फरपुर पूर्वी एवं पटना सिटी पूर्वी) में मार्च 2015 एवं फरवरी 2016 के बीच हमने पाया कि 430 नमूना–जाँचित व्यवसायियों में से तीन व्यवसायियों (संवीक्षित: 1 एवं स्व–कर निर्धारित: 2) ने वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के बीच की अवधि के दौरान राज्य के अन्दर अनिवंशित व्यवसायियों से ₹ 53.90 करोड़ का कर देय वस्तुओं की खरीद की और उसका उपयोग वस्तुओं के विनिर्माण में किया। यह क्रय कर को आकर्षित करता है, परन्तु व्यवसायियों ने अपने रिटर्न में क्रय कर स्वीकृत नहीं किया था, जिसका पता संवीक्षित मामले में भी कर–निर्धारण प्राधिकारी को नहीं लगा। इस प्रकार ब्याज सहित ₹ 86.26 लाख के क्रय कर का आरोपण नहीं किया गया, जैसा कि परिशिष्ट–XXVII में वर्णित है।

मामला सरकार/विभाग को फरवरी एवं मई 2016 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनका उत्तर अभी तक अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

4.17 अधिभार का आरोपण नहीं किया जाना

कर–निर्धारण प्राधिकारियों ने छ: अंचलों के नौ व्यवसायियों के मामले में तम्बाकू उत्पादों के बिक्री पर ₹ 59.63 लाख का अधिभार आरोपित नहीं किया।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 3–ए के प्रावधान के तहत प्रत्येक व्यवसायी जो अधिनियम के तहत कर का भुगतान हेतु दायी है, वे भुगतेय कर के अलावे अनुसूची–IV में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री पर अधिभार का भी भुगतान करेंगे। सरकार ने तम्बाकू उत्पादों पर 15 प्रतिशत की दर से अधिभार निर्धारित किया है।

छ: वाणिज्य कर अंचलों³⁸ में सितम्बर 2015 एवं मार्च 2016 के बीच 971 नमूना–जाँचित व्यवसायियों में से नौ व्यवसायियों (स्व–कर निर्धारित) की रिटर्न, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इत्यादि की जाँच से हमने पाया कि उन्होंने वर्ष 2013–14 की अवधि के दौरान ₹ 13.26 करोड़ के तम्बाकू उत्पादों की बिक्री की जिस पर उन्होंने ₹ 3.98 करोड़ का कर स्वीकार किया। लेकिन उनके द्वारा कोई अधिभार स्वीकृत एवं भुगतान नहीं किया गया था यद्यपि इस अवधि के दौरान तम्बाकू उत्पादों पर 15 प्रतिशत की दर से अधिभार आरोप्य था। इस प्रकार व्यवसायी ₹ 59.63 लाख के अधिभार का भुगतान हेतु उत्तरदायी थे, जैसा कि परिशिष्ट–XXVIII में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त ने अक्टूबर 2016 में कहा कि पटना विशेष अंचल के एक व्यवसायी के मामले में अद्यतन ब्याज सहित

³⁸ कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना विशेष, पटना दक्षिणी एवं समस्तीपुर।

₹ 34.57 लाख का माँग सूजित किया गया जबकि शेष कर—निर्धारण प्राधिकारियों ने सितम्बर 2015 एवं मार्च 2016 के बीच कहा कि मामले की जाँच की जाएगी।

मामला सरकार/विभाग को जनवरी एवं जून 2016 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनका उत्तर अभी तक अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

4.18 विद्युत मीटर के किराया प्रभार पर कर का आरोपण नहीं किया जाना

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने विद्युत मीटर के किराया प्रभार पर ₹ 71.61 लाख के ब्याज सहित ₹ 2.94 करोड़ का कर आरोपित नहीं किया।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2 (जेड सी) (IV) के प्रावधान के अनुसार बिक्री का अर्थ सभी व्याकरणिक भिन्नताओं एवं सजातीय भावों के साथ नकद अथवा आस्थगित भुगतान अथवा किसी मूल्यवान प्रतिफल के लिए मालों के रूप में संपत्ति का हस्तांतरण है तथा जिसमें नगद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल हेतु किसी भी उद्देश्य (किसी भी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अथवा नहीं) से किसी भी मालों के उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण भी शामिल है।

पटना विशेष वाणिज्य कर अंचल में हमने फरवरी 2015 में पाया कि 183 नमूना—जाँचित व्यवसायियों में से दो स्व—कर निर्धारित व्यवसायियों³⁹ ने वर्ष 2012–13 के दौरान विद्युत मीटर, सर्विस लाइन एवं ट्रांसफॉर्मर से संबंधित ₹ 18.67 करोड़ का किराया प्रभार प्राप्त किया था। हालाँकि व्यवसायियों ने किराया प्रभार के विरुद्ध कर स्वीकार नहीं किया था जबकि उपरोक्त प्रावधान के अनुसार यह बिक्री में शामिल करने योग्य था। इस प्रकार 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ₹ 71.61 लाख के ब्याज सहित ₹ 2.94 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2016 में मामले को स्वीकार किया तथा ₹ 2.94 करोड़ के लिए माँग सूजित किया। हम मामले में वसूली हेतु प्रतीक्षित हैं।

ख : प्रवेश कर

4.19 आयातित मूल्य का छिपाव

व्यवसायियों द्वारा आयातित मूल्य के छिपाव का पता कर—निर्धारण प्राधिकारियों को नहीं लगा, जिसके फलस्वरूप अर्थदण्ड सहित ₹ 2 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993 की धारा 8 के साथ पठित बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत यदि विहित प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि अधिनियम के अन्तर्गत किसी कर निर्धारण के संबंध में मालों की

³⁹ संगणना:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	व्यवसायियों का नाम / टीन	अवधि	मीटर के किराये के रूप में प्राप्त राशि	आरोप्य कर	ब्याज	कुल
1	नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लि.0	2012–13	1012.61	120.44	38.84	159.28
2	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लि.0	2012–13	854.22	101.60	32.77	134.37
कुल			1866.83	222.04	71.61	293.65

बिक्री अथवा क्रय पर कोई कर का अवनिधारण हुआ है अथवा कर निर्धारण से वंचित रह गया है तब विहित प्राधिकारी व्यवसायी द्वारा देय कर का चार वर्षों के भीतर कर—निर्धारण अथवा पुनर्कर—निर्धारण करेगा। विक्रय अथवा क्रय अथवा इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूर्ण एवं सही ब्योरा देने में व्यवसायी द्वारा जानबुझ कर गलती किये जाने की स्थिति में विहित प्राधिकारी भुगतेय ब्याज के अलावे वंचित निर्धारित कर की राशि का तीन गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड आरोपित करेगा। आरोपित अर्थदण्ड छूटे हुए आवर्त्त पर कर की राशि के अतिरिक्त होगा।

हमलोगों ने पाया कि संवीक्षा के प्रावधान में, रिटर्न में दर्शाये गये आवर्त्त की जाँच व्यवसायी के रिटर्न की संवीक्षा करते समय अन्य अभिलेखों, जैसे कि सुविधा विवरणी, क्रय विवरणी, साथ ही साथ मूल्यवर्द्धित कर के अंतर्गत दाखिल रिटर्न अथवा अन्य व्यवसायियों के अभिलेखों से प्राप्त बिक्री एवं क्रय से संबंधित सूचनाओं से करने का विशेष रूप से प्रावधान नहीं था। यह प्रणाली में कमी को प्रदर्शित करता है।

सात वाणिज्य—कर अंचलों⁴⁰ में अक्टूबर 2014 एवं फरवरी 2016 के बीच सुविधा विवरणी⁴¹, क्रय विवरणी, मूल्यवर्द्धित कर रिटर्न इत्यादि की तिर्यक जाँच से हमने पाया कि 955 नमूना—जाँचित व्यवसायियों में से नौ स्व—कर निर्धारित व्यवसायियों ने वर्ष 2012–13 से 2013–14 की अवधि के दौरान ₹ 20.52 करोड़ की अधिसूचित वस्तुओं के आयात मूल्य की वास्तविक राशि, जैसा कि सुविधा विवरणी, क्रय विवरणी, मूल्यवर्द्धित कर रिटर्न इत्यादि में दर्शाया गया था के बदले अपने रिटर्न में ₹ 6.96 करोड़ ही दर्शाया था एवं इस प्रकार ₹ 13.56 करोड़ के अधिसूचित मालों के आयात/क्रय का छिपाव किया। इस प्रकार व्यवसायियों ने ₹ 50.02 लाख के प्रवेश कर का दायित्व कम प्रदर्शित किया था, जिसका पता कर—निर्धारण प्राधिकारियों को नहीं चला। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.50 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 2 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ, जैसा कि परिशिष्ट—XXIX में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त ने अक्टूबर 2016 में कहा कि पटना विशेष अंचल के मामले में ₹ 15.41 लाख की वसूली कर ली गयी है जबकि शेष कर—निर्धारण प्राधिकारियों ने अक्टूबर 2014 एवं फरवरी 2016 के बीच कहा कि मामले की जाँच की जाएगी।

मामला सरकार/विभाग को दिसम्बर 2015 एवं जून 2016 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

4.20 प्रवेश कर का कम आरोपण किया जाना

कर निर्धारण प्राधिकारी अनुसूचित वस्तुओं के वास्तविक आयातित मूल्य का पता नहीं लगा सके जिसके फलस्वरूप ₹ 78.27 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित मालों के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर उन वस्तुओं के आयात मूल्य पर उस दर से, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया है, कर का आरोपण एवं संग्रहण किया जाएगा।

पुनः बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यवसायी प्रत्येक माह से संबंधित भुगतेय कर अगले माह के 15 तारीख अथवा उससे पहले जमा करेगा।

⁴⁰ भागलपुर, दानापुर, कटिहार, खगड़िया, पटना विशेष, पूर्णिया एवं सहरसा।

⁴¹ सिम्पलीफाइड यूजेज ऑफ व्हेकिल इनपॉर्मेशन डाटा हार्मोनाइज्ड एप्लीकेशन।

आठ वाणिज्य-कर अंचलों⁴² में अक्टूबर 2014 एवं जनवरी 2016 के बीच हमने पाया कि 1,473 नमूना-जाँचित व्यवसायियों में से आठ स्व-कर निर्धारित व्यवसायियों ने वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान ₹ 776.12 करोड़ के अधिसूचित वस्तुओं का आयात किया था जिस पर ₹ 79.43 करोड़ का प्रवेश कर आरोप्य था। परन्तु उन्होंने वास्तविकता में केवल ₹ 1.16 करोड़ के प्रवेश कर का भुगतान किया जिसका पता कर-निर्धारण प्राधिकारियों को नहीं चला। इसके परिणामस्वरूप ₹ 78.27 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ, जैसा कि परिशिष्ट-XXX में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त/कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने अप्रैल एवं सितम्बर 2015 में तीन अंचलों⁴³ के तीन व्यवसायियों के मामलों को स्वीकार किया तथा ₹ 48.76 करोड़ का माँग सृजित किया। शेष कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने नवम्बर 2014 एवं जनवरी 2016 के बीच कहा कि मामले की जाँच की जाएगी। हम स्वीकृत मामले में वसूली तथा शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामला सरकार/विभाग को अप्रैल 2015 एवं मई 2016 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

4.21 प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना

दर के लागू करने की जाँच के तंत्र के अभाव के फलस्वरूप ₹ 77.26 लाख के प्रवेश कर का अवनिर्धारण हुआ।

बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान के अंतर्गत अधिसूचित मालों के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर उन वस्तुओं के आयात मूल्य पर उस दर से, जैसाकि राज्य सरकार द्वारा राजकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया है, कर का आरोपण एवं संग्रहण किया जाएगा। परन्तु कि विभिन्न अधिसूचित मालों का राज्य सरकार भिन्न-भिन्न दर विनिर्दिष्ट कर सकता है।

चार वाणिज्य-कर अंचलों⁴⁴ में फरवरी एवं अगस्त 2015 के बीच हमने पाया कि 536 नमूना-जाँचित व्यवसायियों में से चार (संवीक्षित: 1 एवं स्व-कर निर्धारित: 3) व्यवसायियों ने वर्ष 2012–13 से 2013–14 की अवधि के दौरान ₹ 24.14 करोड़ की अधिसूचित वस्तुओं का आयात किया एवं अधिनियम द्वारा विहित दर से कम दर पर स्व-कर निर्धारित किया। इस अवधि के दौरान दर के लागू करने की जाँच के तंत्र के अभाव के कारण इन मामलों का पता कर-निर्धारण प्राधिकारियों को नहीं चला। इसके परिणामस्वरूप ₹ 77.26 लाख के प्रवेश कर का अवनिर्धारण हुआ, जैसा कि परिशिष्ट-XXXI में वर्णित है।

मामला सरकार/विभाग को जनवरी एवं मई 2016 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

⁴² भमुआ, गया, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पटना सिटी पूर्वी, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष एवं पटना पश्चिमी।

⁴³ पटना उत्तरी, पटना विशेष एवं पटना पश्चिमी।

⁴⁴ औरंगाबाद, बाढ़, पटना विशेष एवं शाहाबाद।

4.22 प्रवेश कर के अन्तर्गत गलत ढंग से कटौती का लाभ लिये जाने के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण

स्थानीय क्षेत्र में अधिसूचित वस्तुओं के विर्निमाण अथवा उत्पादन के मद में प्रवेश कर की कटौती का लाभ लिये जाने का पता कर—निर्धारण प्राधिकारी नहीं लगा सके, जिसके फलस्वरूप ₹ 740.70 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 2 (1) (सी), दिनांक 29 अगस्त 2006 से यथा संशोधित, के प्रावधान के अनुसार सभी व्याकरणीय भिन्नताओं एवं अन्य सजातीय भावों के साथ “मालों का प्रवेश” से तात्पर्य है; (i) ऐसे क्षेत्र के बाहर स्थित कोई स्थान से स्थानीय क्षेत्र में, (ii) राज्य के बाहर स्थित किसी स्थान से स्थानीय क्षेत्र में (iii) भारत के भू—भाग के बाहर स्थित किसी स्थान से स्थानीय क्षेत्र में, उपभोग, उपयोग तथा बिक्री के लिए मालों का प्रवेश।

पटना विशेष वाणिज्य—कर अंचल में मार्च 2015 एवं जनवरी 2016 के बीच हमने पाया कि 183 नमूना—जाँचित व्यवसायियों में से एक व्यवसायी में 0 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (टिन—वैट—10010116082 / ई0टी0—10010116276), जो कि एक तेल विपणन कम्पनी है, ने वर्ष 2012—13 एवं 2013—14 की अवधि के दौरान स्थानीय क्षेत्र में अधिसूचित वस्तुओं के क्रय अथवा प्राप्ति, जिसका विर्निमाण अथवा उत्पादन स्थानीय क्षेत्र के अंदर हुआ था, के मद में ₹ 38,148.33 करोड़ के प्रवेश कर की कटौती का लाभ लिया था। परन्तु वर्ष 2012—13 एवं 2013—14 की अवधि के दौरान व्यवसायी वास्तव में उक्त पेट्रोलियम उत्पादों, जिसका निर्माण अथवा उत्पादन बरौनी रिफाइनरी (अन्य स्थानीय क्षेत्र) में हुआ था तथा जो मार्केटिंग डिविजन (विभिन्न मार्केटिंग टर्मिनल पर) में बिक्री के लिए प्राप्त किया गया था, पर प्रवेश कर का भुगतान हेतु दायी था। पुनः हमने पाया कि उक्त मालों में से व्यवसायी ने ₹ 4,629.38 करोड़ का पेट्रोल/डीजल मार्केटिंग डिविजन के पटना टर्मिनल में, बरौनी रिफाइनरी से उक्त अवधि में प्राप्त किया था, जिसपर उसका ₹ 740.70 करोड़ के प्रवेश कर की देयता बनती थी। कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा इस गलत कटौती का पता नहीं लगाया जा सका, जिसके कारण ₹ 740.70 करोड़⁴⁵ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

इसे इंगित किये जाने के विभाग ने अगस्त 2016 में मामले को स्वीकार किया तथा वर्ष 2013—14 से संबंधित ₹ 413.81 करोड़ का माँग सूजित किया। हम स्वीकृत मामले में वसूली तथा वर्ष 2012—13 से संबंधित मामले में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2016)।

4.23 प्रवेश कर के तहत निबंधन नहीं लिए व्यवसायियों से प्रवेश कर एवं अर्थदण्ड की वसूली नहीं किया जाना

कर—निर्धारण प्राधिकारी प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत अनिबंधित व्यवसायियों द्वारा अधिसूचित वस्तुओं के आयात का पता नहीं लगा सके एवं इस प्रकार अर्थदण्ड सहित ₹ 76.40 लाख के प्रवेश कर की वसूली नहीं हुई।

⁴⁵ संगणना

(₹ करोड़ में)

अवधि	कटौतियों का लाभ लिया गया	मूल्य जिस पर प्रवेश कर आरोपित नहीं किया गया	सामग्री	प्रवेश कर का दर (प्रतिशत में)	आरोप्य प्रवेश कर
2012—13	32,608.52	2,043.06	पेट्रोल / डीजल	16	326.89
2013—14	5,539.81	2,586.32			413.81
कुल	38,148.33	4,629.38			740.70

बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 5 के साथ पठित बिहार प्रवेश कर नियमावली के नियम 3 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यवसायी, जो अनुसूचित वस्तुओं के आयात के कारण प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत कर के भुगतान हेतु दायी हैं, उन्हें कर के भुगतान हेतु दायी होने के सात दिनों के अंदर अंचल के प्रभारी पदाधिकारी को निबंधन हेतु एक आवेदन देना होगा। पुनः बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 28 के प्रावधानों के तहत यदि विहित प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि कोई व्यवसायी कर का भुगतान करने हेतु दायी था और निबंधन के लिए आवेदन करने में जानबूझकर विफल रहा, तब वे स्वविवेक से देय कर की राशि, अगर कोई हो, का निर्धारण करेंगे तथा वे निर्देश देंगे कि व्यवसायी कर की निर्धारित राशि के अतिरिक्त, प्रत्येक चूक दिवस के लिए एक सौ रुपये की राशि अथवा निर्धारित कर की राशि के समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, का भुगतान अर्थदण्ड के रूप में करेगा।

छ: वाणिज्य-कर अंचलों⁴⁶ में नवम्बर 2014 एवं जनवरी 2016 के बीच 856 नमूना—जाँचित व्यवसायियों में से आठ व्यवसायियों (स्व-कर निर्धारित) जो कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर-अधिनियम के अंतर्गत निबंधित थे, के रिटर्न, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, सुविधा इत्यादि के जाँच से हमने पाया कि इन्होंने वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान ₹ 7.67 करोड़ के विभिन्न अधिसूचित वस्तुओं का आयात किया था। जबकि उन्होंने प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत निबंधन नहीं करवाया, यद्यपि वे ऐसा करने हेतु उत्तरदायी थे। कर-निर्धारण प्राधिकारी उन अनिबंधित व्यवसायियों का पता नहीं लगा सके, यद्यपि उनके निबंधन के उत्तरदायित्व से संबंधित सूचना मूल्यवर्द्धित कर अभिलेखों में कर-निर्धारण प्राधिकारियों के पास उपलब्ध थी, जो कि कर-निर्धारण प्राधिकारियों के अधिनियम/नियमावली के प्रावधान के अनुपालन में उदासीनता को दर्शाता है। इस प्रकार ₹ 54.34 लाख के अर्थदण्ड सहित ₹ 76.40 लाख के प्रवेश कर की वसूली नहीं हुई, जैसाकि परिशिष्ट-XXXII में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ने गाँधी मैदान अंचल के दो मामलों को स्वीकार (अक्टूबर 2015) करते हुए ₹ 16.93 लाख का माँग सूजित किया। शेष कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने नवम्बर 2014 एवं जनवरी 2016 के बीच कहा कि मामले की जाँच की जाएगी।

मामला सरकार/विभाग को फरवरी 2015 एवं मई 2016 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

4.24 स्वीकृत प्रवेश कर का कम भुगतान

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत कर के कम भुगतान किये जाने का पता नहीं लगाया जा सका जिसके फलस्वरूप ₹ 5.80 करोड़ के प्रवेश कर की कम वसूली हुई।

मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 के साथ पठित प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यवसायी प्रत्येक माह से संबंधित भुगतान कर आगामी माह के पन्द्रहवें तिथि को या उसके पहले जमा करेगा।

पाँच वाणिज्य-कर अंचलों⁴⁷ में नवम्बर 2014 एवं मई 2015 के बीच हमने पाया कि 829 नमूना—जाँचित व्यवसायियों में से छ: व्यवसायियों (संवीक्षित: 2 एवं स्व-कर निर्धारित: 4) ने वर्ष 2012–13 से 2013–14 की अवधि के दौरान अपने रिटर्न में ₹ 1,340.60 करोड़ के आयातित वस्तुओं के विरुद्ध भुगतान प्रवेश कर ₹ 102.95 करोड़ स्वीकार किया,

⁴⁶ भभुआ, गाँधी मैदान, कदमकुआँ, कटिहार, पटना मध्य एवं सासाराम।

⁴⁷ बाढ़, फारबिसगंज, गाँधी मैदान, मोतिहारी एवं पाटलिपुत्र।

परन्तु वास्तविकता में उन्होंने केवल ₹ 97.15 करोड़ के प्रवेश कर का ही भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.80 करोड़ के स्वीकृत प्रवेश कर की कम वसूली हुई, जैसा कि परिशिष्ट-XXXIII में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद कर-निर्धारण प्राधिकारी, फारबिसगंज एवं गाँधी मैदान प्रत्येक ने एक व्यवसायी के मामले को स्वीकार (जनवरी 2015 एवं फरवरी 2016 के बीच) करते हुए ₹ 40.86 लाख का माँग सूजित किया, जिसमें से फारबिसगंज अंचल के मामले में ₹ 11.19 लाख की वसूली कर ली गई है। शेष कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने नवम्बर 2014 एवं जून 2015 के बीच कहा कि मामले की जाँच की जाएगी। हम स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामला सरकार/विभाग को फरवरी 2015 एवं मई 2016 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

4.25 माँग पत्र के अनियमित निर्गमन के कारण प्रवेश कर का गलत समायोजन

कर-निर्धारण प्राधिकारी कर-निर्धारण के समय प्रवेश कर के गलत समायोजन का पता नहीं लगा सके, जिसके फलस्वरूप ₹ 3.81 करोड़ के प्रवेश कर का अधिकाई माँग हुआ।

बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993 की धारा 3 (2) के साथ पठित बिहार प्रवेश कर नियमावली, 1993 के नियम 4 (क) प्रावधित करता है कि कोई व्यवसायी, जो अधिनियम के अंतर्गत कर का भुगतान करने हेतु दायी है, उसकी यदि आयातित अधिसूचित मालों की बिक्री अथवा ऐसे आयातित अधिसूचित मालों से विनिर्भित वस्तुओं की बिक्री के कारण बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दर पर कर के भुगतान की देयता बनती है तब बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत उसका कर दायित्व प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत भुगतान किये गये कर की सीमा तक कम कर दिया जायेगा।

पाटलिपुत्र वाणिज्य कर अंचल में 378 नमूना-जाँचित व्यवसायियों में से एक व्यवसायी में 0 महिन्द्रा लिमिटेड (जीप डिविजन) जिसका टिन 10050023046 है, के प्रवेश कर अभिलेखों के जाँच (नवम्बर 2014) के दौरान हमने पाया कि वर्ष 2011–12 में व्यवसायी को ₹ 8.14 करोड़ का अधिकाई माँग सूजित कर दिया गया था और पुनः यह देखा गया कि प्रवेश कर के अंतर्गत ₹ 8.14 करोड़ के अधिकाई माँग सूजन करते समय, 2010–11 की अवधि से संबंधित अधिकाई जमा ₹ 3.81 करोड़ का अनियमित सामंजन/मिन्हा दे दिया गया क्योंकि प्रवेश कर अधिनियम/नियमावली में किसी वर्ष के दौरान अधिकाई जमा को अगले वर्ष के लिए अग्रेषित करने संबंधी कोई भी प्रावधान/नियम नहीं हैं (अंतिम भंडार से संबंधित कर को छोड़कर) वर्ष 2010–11 के अंतिम भंडार से संबंधित असमायोजित प्रवेश कर का समायोजन व्यवसायी को पहले ही दे दिया गया था। कर-निर्धारण पदाधिकारी द्वारा प्रवेश कर का अनियमित समायोजन कर-निर्धारण के दौरान पता नहीं लगा पाने के फलस्वरूप ₹ 3.81 करोड़ के प्रवेश कर का अधिकाई माँग निर्गत किया गया।

इस इंगित किये जाने के बाद कर-निर्धारण पदाधिकारी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार (अक्टूबर 2016) किया एवं ₹ 3.81 करोड़ तथा अद्यतन ब्याज हेतु माँग सूजित किया।

मामले सरकार/विभाग को अक्टूबर 2015 एवं जून 2016 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2016)।

ग: विद्युत शुल्क

4.26 विद्युत शुल्क एवं अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

अभिलेखों के तिर्यक जाँच से बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम के अंतर्गत निबंधन नहीं लिये हुये एक व्यवसायी द्वारा उर्जा की बिक्री का पता चला, जिसके फलस्वरूप ₹ 70.55 लाख के विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं हुआ।

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 की धारा 6 ए (5) प्रावधित करता है कि किसी सूचना अथवा अन्य तरह से यदि विहित प्राधिकारी संतुष्ट हो जाते हैं कि किसी निर्धारिती अथवा उसके अलावे कोई व्यक्ति जो किसी अवधि से संबंधित शुल्क का भुगतान करने हेतु दायी है तथा जानबूझकर निबंधन लेने में विफल रहा है, तब विहित प्राधिकारी निर्धारिती को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् निर्धारिती या कोई व्यक्ति से उस अवधि अथवा आगे की अवधियों से संबंधित शुल्क की देय राशि, यदि कोई है, का निर्धारण अपने स्वविवेक से करेंगे तथा विहित प्राधिकारी, निर्धारित शुल्क के अलावे निबंधन हेतु आवेदन देने में अनुज्ञाप्तिधारी या कोई अन्य व्यक्ति के विफल रहने की अवधि के प्रत्येक दिवस के लिये पचास रुपये की राशि अथवा निर्धारित शुल्क की राशि के समतुल्य राशि, जो भी कम हो, अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने हेतु उस निर्धारिती अथवा कोई अन्य व्यक्ति को निर्देश देंगे।

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 की धारा 3 (1) उपबंधित करता है कि संचरण अथवा रूपांतरण में उर्जा के ह्रास को छोड़कर, या तो इकाईयों पर अथवा खपत या बिक्री की गई उर्जा के मूल्य पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दर अथवा दरों पर एक शुल्क आरोपित होगा तथा राज्य सरकार को भुगतान किया जायेगा।

पटना पश्चिमी वाणिज्य कर अंचल में अक्टूबर 2014 में हमने पाया कि 190 नमूना-जाँचित व्यवसायियों में से विद्युत उत्पादन में संलग्न स्व-कर निर्धारिती (में 0 बिहार स्टेट हाईड्रो इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेड; टिन- 10140501057 वैट) वर्ष 2012-13 की अवधि के दौरान बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 के तहत न तो अपना निबंधन करवाया था और न ही रिटर्न दाखिल या शुल्क का भुगतान किया था। परन्तु लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/ साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0/ नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 ने उसी अवधि में अपने वार्षिक लेखे में बिहार स्टेट हाईड्रो इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेड से रुपये 11.76 करोड़ के मूल्य का 46.83 मिलियन किलोवाट उर्जा का क्रय दर्शाया था। अतः यह स्पष्ट है कि व्यवसायी ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0/ नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उर्जा की बिक्री किया था, जिसपर बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 की धारा 3 के प्रावधान के अनुसार, शुल्क आरोप्य था। इस प्रकार, व्यवसायी छः प्रतिशत की दर पर ₹ 70.55 लाख के शुल्क की राशि का भुगतान करने हेतु दायी है। इसके अलावे उपरोक्त अधिनियम के तहत निबंधन नहीं लेने हेतु अर्थदण्ड भी आरोप्य था।

मामला सरकार/विभाग को दिसम्बर 2015 में प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2016)।